षोडश माला, खंड 11, अंक 5 सोमवार, 27 जुलाई, 2015

5 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 5, सोमवार, 27 जुलाई, 2015 / 5 श्रावण, 1937 (शक)

विषय	**पृष्ठ संख्या**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1*]तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 83	13-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
[2@]तारांकित प्रश्न संख्या 84 से 94 और 96 से 100	26
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	26
सभा पटल पर रखे गए पत्र	28-35

[1*] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

[2@] प्रश्न सं. 95 को स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय को अंतरित किया गया।

राज्य सभा से संदेश 36

कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 37

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें -

(रेल), 2012-2013 37

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(1) निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2013 38

(2) परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 39

परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण 40

सदस्यों द्वारा निवेदन

पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के बारे में 41-69

नियम 377 के अधीन मामले 70-95

(एक) आरक्षित श्रेणी के कतिपय उम्मीदवारों को अस्वीकृत किए जाने को ध्यान में रखते हुए एअर इंडिया में वरिष्ठ प्रशिक्षु पॉयलट की भर्ती की चयन प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. उदित राज 71

(दो) उत्तराखंड में वरूणावत पर्वत को उच्च तकनीकी का प्रयोग करके बचाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह 72

(तीन) राजस्थान में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशिलिएटी ब्लॉक्स स्थापित करने हेतु तत्काल निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम बिरला 73

(चार) बिहार के सासाराम निर्वाचन क्षेत्र में गुप्त धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए परिवहन, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान 75

(पांच) बेगूसराय में एम्स की तर्ज पर संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह 76

(छः) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

श्री कौशल किशोर 77

(सात) उत्तर प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों और औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री लल्लू सिंह 78

(आठ) झारखंड के पलामू जिले में निर्धन मजदूरों के कल्याण हेतु मैसर्स सोन वैली सीमेंट लिमिटेड को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम 79

(नौ) बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन में प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाए जाने और नारायणपुर अनन्त स्टेशन को रेलवे टर्मिनल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय निषाद 80

(दस) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ उन किसानों को भी जिनकी जोत सीमान्त किसानों से अधिक है, दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी.आर. चौधरी 81

(ग्यारह) अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु 'मेक इन इंडिया' मिशन के तहत लघु और सूक्ष्म उद्योगों का विकास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ 82

(बारह) देश में बाल श्रम को समाप्त करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 83

(तेरह) खेजड़ी पादप, जो शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, को संरक्षित पादप प्रजाति की सूची में शामिल करने और इसके संरक्षण हेतु पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 84

(चौदह) तमिलनाडु के सलेम शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. पन्नीरसेलवम 86

(पंद्रह) मलमल उद्योग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिमा मण्डल 87-88

(सोलह) देश के सभी जिलों में हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए 'वन स्टॉप ट्रॉमा केयर सेंटर' स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 88-89

(सत्रह) रेलगाड़ियों में वरिष्ठ नागरिकों हेतु पृथक कोच/सीट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी 89-90

(अठारह) आंध्र प्रदेश में तेजी से आर्थिक विकास हेतु विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कोथापल्ली गीता 91

(उन्नीस) भारत में कुपोषण की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले 93

(बीस) राजस्थान के टोंक में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल 'अमली बाघ सफारी हेतु धनराशि शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया 94

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 95-120

विचार करने के लिए प्रस्ताव 95

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 95-96

श्रीमती मीनाक्षी लेखी 97-99

श्री जे.जे.टी. नटर्जी 100

सदस्य को सभा की सेवा से निलंबित करने के बारे में प्रस्ताव 102-119

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रल्हाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 27 जुलाई, 2015 / 5 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

माननीय अध्यक्ष: मुझे स्थगन प्रस्ताव की निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:

आई.पी.एल. विवाद के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री एम. वीरप्पा मोइली, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री राजीव सातव, श्री पी. करुणाकरण और श्री एन.के. प्रेमचंद्रन; जाति आधारित जनगणना के संबंध में श्री जय प्रकाश नारायण यादव एवं श्री धर्मेन्द्र यादव; तेलंगाना में उच्च न्यायालय के संबंध में श्री ए.पी. जितेंदर रेड्डी; व्यापम घोटाले के संबंध में श्री मोहम्मद सलीम और श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान; बांग्लादेश में इंडिया एन्क्लेव में रहने वाले भारतीयों पर हमले के संबंध में श्री अधीर रंजन चौधरी; और श्री ए. अरुणमोझीथेवन एन.एल.सी. श्रमिकों के वेतन समझौते के संबंध में।

यद्यपि ये मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिन के कार्य में व्यवधान डालने योग्य नहीं हैं। अन्य माध्यमों से भी मुद्दे उठाये जा सकते हैं। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है। मैं आपको समय दूंगी।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: शून्य काल में 12 बजे मैं आपको समय दूंगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>

इस समय, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री राजीव सातव, श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब हम प्रश्नकाल शुरू करते हैं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल चलने दीजिए।

[अनुवाद]

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

[3]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 81 श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर।

(प्रश्न संख्या 81)

[हिन्दी]

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर: अध्यक्ष महोदया, वनबंधु योजना के तहत जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनमें जितनी राशि का उपयोग नहीं हुआ, वह कितनी है और यह जो पैसा खर्च नहीं हुआ, इसका कारण क्या है?...(व्यवधान) वनबंधु कल्याण योजना में पहले साल 100 करोड़ रुपए और दूसरे साल 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतने कम बजट में सरकार कैसे काम कर पाएगी?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

---

[3] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माननीय अध्यक्ष: कोई पोस्टर नहीं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: यह आप नियम के खिलाफ कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे बाहर रखकर आएं। नो प्लैकार्ड्स।

... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री जय प्रकाश जी और श्री धर्मेंद्र यादव जी, प्लैकार्ड्स की अनुमति नहीं है। कृपया कोई प्लैकार्ड्स नहीं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: उस पर विचार किया गया है और शुरू में दस टीएसपी स्टेट्स में पैसा दिया गया है।...(व्यवधान) अब इसका हॉलिस्टिक एप्रोच है, वहां की आवश्यकता के हिसाब से एक ब्लाक में दस करोड़ रुपए खर्च होंगे।

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर: वनबंधु कल्याण योजना में किन-किन मुद्दों को शामिल किया गया है?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप रूल्स के खिलाफ मत जाएं और प्लैकार्ड्स मत शो करें।

...(व्यवधान)

श्री जुएल ओराम: वनबंधु कल्याण योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवस्थापना और लाइवलीहुड जैसे 13 कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। जहां जो आवश्यक हो, उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाया जाएगा और वहीं के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और वहां के आधिकारी उस पैसे को वहीं खर्च करेंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

[4*]**श्रीमती सकुंतला लागुरी:** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें जनजातीय उपयोजना के तहत कई सारे फंड आवंटित कर रही हैं। लेकिन यह पैसा आदिवासियों के कल्याण के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है।

मैं जानना चाहती हूं कि आदिवासियों के कल्याण के लिए वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की जा रही है और अन्य समुदायों के लाभ के लिए कितनी राशि खर्च की जा रही है? क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी प्रतिवेदन है जो यह बताए कि कौन सा राज्य जनजातीय कल्याण निधि में सबसे अधिक विविधता लाता है?

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : महोदया, ट्राइबल सबप्लान में 19 हेड में हम लोग पैसा देते हैं।...(व्यवधान) उसमें स्पेशल सेंट्रल आसिस्टेंस है, ग्रामीण ऐड अंडर आर्टिकल 275(1) है,...(व्यवधान) वॉलियंटरी ऑर्गेनाइजेशन और आश्रम स्कूल्स, वनाश्रम...(व्यवधान) के लिए भी है। इसकी डिटेल्स भी है।...(व्यवधान) वर्ष 2012-13 आर्थिक वर्ष में 3056 करोड़ रुपये,...(व्यवधान) 2013-14 आर्थिक वर्ष में 3821 करोड़ रुपये...(व्यवधान) और वर्ष 2015-16 में अभी तक का खर्च 3850 करोड़ रुपये हो चुका है...(व्यवधान) किसी भी राज्य से मिस-यूटीलाइजेशन की स्पैसीफिक कम्पलेंट नहीं आयी है...(व्यवधान) हम बीच-बीच में इनक्वायरी करके उनके यूटीलाइजेशन को सुनिश्चित करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजीव सातव जी, आप दूसरे के आधिकार को मार रहे हैं। उस तरफ चले जाइए।

[4*] मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बाकी लोगों का आधिकार समाप्त नहीं कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी, आप दूसरे का आधिकार नहीं मार सकते हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्लैकार्ड्स न दिखाएं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: राजीव सातव और गौरव गोगोई, कृपया वहां जाएं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्लैकार्ड्स न दिखाएं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, देश की आजादी के बाद आदिवासी समुदायों के विकास हेतु...(व्यवधान) अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी कल्याण की योजनाएं प्रारम्भ की गयीं...(व्यवधान) इसके लिए काफी धनराशि भी आवंटित हुई है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च नहीं हो पाता है...(व्यवधान) कई राज्य तो 50 प्रतिशत से भी कम राशि खर्च नहीं कर पाते हैं, जो राशि रह जाती है, वह रद्द कर दी जाती है...(व्यवधान) विसंगतियों को देखा जाए तो हजारों-करोड़ रुपये आदिवासी समुदाय से छिन रहा है...(व्यवधान) शिक्षा के क्षेत्र में भी समुचित प्रबंध नहीं होने से आदिवासी छात्रों में साक्षरता की दर कम होने के कारण नौकरियों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है...(व्यवधान) जहां तक वन आधिकार क्षेत्र का मामला है, इसमें भी आधे दावों को ही मालिकाना हक मिल पाता है...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और संबंधित विभाग के हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि काफी महत्वपूर्ण कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं...(व्यवधान) लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आवंटित राशि के शत-प्रतिशत उपयोग,...(व्यवधान) रिक्त पदों की पूर्ति तथा विशेष आभियान एवं वन भूमि का मालिकाना हक दिलाने हेतु क्या सरकार कोई विशेष योजना बनाने जा रही है?...(व्यवधान)

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदया, आवंटित राशि ठीक से खर्च हो,...(व्यवधान) उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हैं..(व्यवधान) वहां स्थानीय स्तर पर प्रोजेक्ट लेवल कमेटी आईटीडीए और कलेक्टर के चेयरमैनशिप में काम होता है...(व्यवधान) उसमें एमपी भी मैम्बर होता है।...(व्यवधान) उसमें जो पैसा खर्च होता

है, उसकी डिटेल प्लानिंग होती है...(व्यवधान) यह पैसा बजटिड अमाउण्ट होने के बाद भी नॉन लैप्सेबल है...(व्यवधान)

इसलिए जो खर्च कम होता है, वह आगे कैरी फारवर्ड हो जाता है। वहां की वन भूमि के पट्टे के लिए हम निरंतर सेमिनार, सिम्पोजियम और मीटिंग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनैस करके पट्टे देने के लिए काम करते हैं।

दूसरा इसके लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए कई सारी योजनाएं हैं, उसमें एकलव्य माडल रेसिडेंशियल स्कूल भी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको मना नहीं किया है। प्लीज, आप यह प्लैकार्ड्स रख दीजिए। जयप्रकाश जी, प्लैकार्ड्स रख दो, प्लैकार्ड्स नहीं दिखाने हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्लैकार्ड्स न दिखाएं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई प्लैकार्डस रख दें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्लैकार्ड्स न दिखाएं। प्लैकार्ड्स रख दो।

श्री के. परशुरामन: अध्यक्ष महोदया, हालांकि क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न योजनाओं के तहत अनुसूचित आबादी की जरूरतों को पूरा किया गया है और बड़ी मात्रा में धन आवंटित किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत कम सुधार देखा गया है। ... (*व्यवधान*) हमारे देश के सुदूर आदिवासी इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना सरकार की चुनौतियों में से एक है। आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, 100 प्रतिशत टीकाकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पौष्टिक भोजन का प्रावधान, सुरक्षित आवास और स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हासिल नहीं की जा सकी है। ... (*व्यवधान*) मै माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे भविष्य में इन मुद्दों से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाकर इस बारे में सदन को सूचित करें। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : महोदया, जो इंटिग्रेटिड एक्शन प्लान है, उसमें हैल्थ, एजूकेशन, लाइवलिहुड एवं हाउसिंग भी है, वहां का पैसा जैसा आबंटित करते हैं, उसके हिसाब से उस एरिया के आधिकारी लोग विचार करके क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, वह प्रायोरिटी फिक्स करते हैं और उसके हिसाब से काम होता है। थोड़ा युटिलाइजेशन कम है, लेकिन उसे हम निरंतर मानिटरिंग करके इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 82

श्री राहुल शेवाले - उपस्थित नहीं।

श्री विनायक भाउराव राउत - उपस्थित नहीं।

(प्रश्न संख्या 82)

डॉ. किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्राइवेट कंपनियों ने आपके पास क्या रेट मांगा था और इसके पहले क्या रेट था।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आपका यह व्यवहार सही नहीं है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया: आठ डालर के करीब डिमांड की थी, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने वास्तव में गैस के प्राइस कम किये हैं। इस बारे में मैं उनका आभिनंदन करूंगा। उसके बारे में वह सदन को विशेष जानकारी दें, यह प्रार्थना करता हूं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदया, जब 2014 में नई सरकार बनी, सरकार के सामने पुरानी सरकार का फैसला, जो चुनाव आयोग के कारण कुछ दिनों के लिए स्थगित था, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, उसमें जो उन दिनों में 4.2 दर थी, उसे पिछली यूपीए सरकार 8.4 बनाकर गई थी। देश में उस पर विरोध था। ...(व्यवधान) मामला ज्यूडिशियल स्क्रूटनी तक पहुंचा था। ...(व्यवधान) पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी चल ही रही थी। ...(व्यवधान) नई सरकार अक्टूबर महीने में देश के सामने गैस प्राइसिंग का नया फार्म्युला ले कर आई। ...(व्यवधान) विश्व के सारे मार्केट को देखते हुए, चार प्रमुख मार्केट यार्ड को देखते हुए नई सरकार ने बहुत विचार-विमर्श करने के बाद, कई स्टेक होल्डर्स से विचार-विमर्श करने के बाद, कई एक्सपर्ट्स से विचार-विमर्श करने के बाद देश के ग्राहकों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए, निवेश के जो सही संकेत मिले उसे भी ध्यान में रखते हुए, गैस प्राइसिंग का नया फार्म्युला, अक्टूबर, 2014 में लाया गया। ...(व्यवधान) जो हरेक छह महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए परिवर्तित होगा, ऐसी भी शर्त रखी गयी। ...(व्यवधान) जिसकी दर अगर

महोदया आज हम देखें कि जो दाम हमारी सरकार के आते समय 8.4 डॉलर तक पहुंचे थे, उसको आज 5.5 डॉलर में दिया जा सकता है। ...(व्यवधान) वह बाद में घट कर 4.66 डॉलर तक आया है। ...(व्यवधान) यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नई सरकार की रही है। ...(व्यवधान) ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री धर्मेंद्र यादव, कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं, अन्यथा आपको मध्याह्न 12 बजे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपका यह व्यवहार सही नहीं है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको 'शून्यकाल' में अनुमति दूंगी लेकिन आप अपने स्थान पर जाएं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया कोई पोस्टर नहीं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया उन्हें नीचे रख दें। यह उचित नहीं है ।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: महोदया, देश के हर राज्य में कई सारी आंगनवाड़ियां हैं। ...(व्यवधान) वहां पर बच्चों के लिए जो खाना बनाया जाता है, वह लकड़ियों को जला कर बनाया जाता है। ...(व्यवधान) उसकी वजह से

धुंआ फैलता है। ...(व्यवधान) उसकी वजह से पर्यावरण प्रभावित होता है। ...(व्यवधान) गुजरात सरकार ने एक फैसला लिया था कि आंगनवाड़ियों में निःशुल्क तौर पर एल.पी.जी. मुहैया करायी जाएगी। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि क्या वे देश की सभी आंगनवाड़ियों में निःशुल्क गैस मुहैया करवाएंगे? ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान **:** महोदया, यह एक अलग प्रश्न है, फिर भी माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण सवाल सदन में प्रस्तुत किया है। ...(व्यवधान) इन दिनों प्रधान मंत्री जी ने संपन्न लोगों से अपने हिस्से की सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। ...(व्यवधान) 13 लाख से ज्यादा लोग, जिनमें सामन्य लोग, मध्यमवर्गीय लोग, संपन्न लोग हैं, उन्होंने सब्सिडी छोड़ दी है। ...(व्यवधान) आज दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है। ...(व्यवधान) वह सारी छोड़ी हुई गैस सब्सिडी, जो अब उपलब्ध है, उस पर प्रधान मंत्री जी ने यह निर्देश दिया है कि उसको देश के गरीबों के घर में लगाया जाए। ...(व्यवधान) आंगनवाड़ी भी एक विषय है। ...(व्यवधान) आज प्रश्नकर्त्ता ने जो सुझाव दिया है, क्या उसको भी हम देश भर में लागू कर सकते हैं, उस पर भी विचार कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय का उत्तर तो वैसे काफी क्लियर है। ...(व्यवधान) लेकिन अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें बार-बार जो प्राईवेट ऑपरेटर्स हैं, उनका जो कॉस्ट एसक्लेशन हैं, इसके डायरेक्टर जनरल हाईड्रोकार्बन इसके ऊपर बार-बार कहते रहे हैं कि इन्होंने अपने हिसाब से एक मैंडेट्री आदेश कर लिया और इसमें इनके प्रोडक्शन का कॉस्ट एसक्लेट हुआ है। ...(व्यवधान) इसके बाद भी मंत्री महोदय ने जो गाईडलाइंस निकाली हैं, पॉइंट 11 में, यह यू. पी. सिंह साहब का जो ऑर्डर है, वह कह रहे हैं कि, इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कीमत अमेरिकी डॉलर प्रति एम.एम.बी.टी.यू. में होगी। ... (व्यवधान) तो जिस तरह से डॉलर का फ्लैक्चुएशन हो रहा है, 40 रूपये से यह भाव 60 रूपये हो गया, 60 रूपये से कभी 65 रूपये हो जाता है, तो कभी 70 रूपये हो जाता है। ...(व्यवधान) हमारा जो नुकसान होता है, भारत सरकार की क्या ऐसा मजबूरी है कि वह डॉलर के टर्म पर यह प्राइस फिक्स करते हैं और इससे भारत सरकार को कितना नुकसान हो सकता है? ...(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदया, नुकसान का तो कोई विषय नहीं है। माननीय सदस्य अर्थनीतिक विषय के बड़े जानकार व्यक्ति हैं।...(व्यवधान) ऑयल एंड गैस एक इन्टरनेशनल कमोडिटी है।...(व्यवधान) बाकी देश की जो प्रैक्टिस है, हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करके ही हिसाब करते हैं।...(व्यवधान) लेकिन यह विषय सही है, हम कभी न कभी देश की अपनी करेंसी की ताकत बढ़ाकर अपने ही टर्म पर उसे खरीदेंगे।...(व्यवधान) जैसे अभी ईरान में हम इन्डियन करेंसी से खरीदते थे।...(व्यवधान) एक समय आएगा, मोदी जी के नेतृत्व में हमें भरोसा है,...(व्यवधान) एक ऐसा समय आएगा जब इन्डियन करेंसी की भी ताकत बढ़ेगी और हम अपनी ही करेंसी में इन्टरनेशनल कमोडिटी को खरीद सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 83, श्री कीर्ति वर्धन सिंह - उपस्थित नहीं।

कुँवर हरिवंश सिंह।

(प्रश्न संख्या 83)

कुँवर हरिवंश सिंह: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रेलगाड़ियों में घटिया किस्म के खाने की कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं।...(व्यवधान) मैं इस सम्बन्ध में सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि अब तक कुल कितनी कम्पनियाँ रेल में खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आई.आर.सी.टी.सी. के अधीन पंजीकृत हैं?...(व्यवधान) खानपान की गुणवत्ता खराब होने के कारण पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान कितनी कम्पनियों पर कार्रवाई की गई या उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया।...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, आई.आर.सी.टी.सी. ने एक नए कारोबार की शुरूआत की है, उसे ई-कैटरिंग कहते हैं। उसके तहत जहाँ भी लोगों को खानपान सेवा रेल से दी जाती है, उसके अलावा भी लोगों को एक पर्याप्त सेवा मिल गई है।...(व्यवधान) यदि कोई कुछ भी खाना चाहते हैं तो उस सेवा के तहत आप जो खाना चाहें, उसका ऑर्डर कर सकते हैं।...(व्यवधान) जिस खाने का आप ऑर्डर देंगे, वही खाना आपको डिलिवर किया जाता है।...(व्यवधान) यह हमेशा निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी शिकायत खाने के बारे में आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।...(व्यवधान) ऐसी जो कम्पनियाँ हैं, जिन्होंने टेंडर में भी काम लिया होगा, लेकिन वे ठीक तरह से सेवा नहीं दे रही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्लैकार्ड्स न दिखाएं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कुँवर हरिवंश सिंह, आप सेकेंड सप्लीमेंट्री पूछिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय मिश्रा।

... (व्यवधान)

श्री अजय मिश्रा टेनी: महोदया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारा जो लोक सभा क्षेत्र है, वहाँ पर ब्रॉड गेज लाइन नहीं है।...(व्यवधान) क्या मीटर गेज लाइनों वाले स्टेशनों पर भी रेलवे यात्रियों को टैक्सी और कुलियों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देने का काम माननीय रेल मंत्री जी करेंगे?...(व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उनके यहाँ मीटर गेज के गेज कन्वर्जन के लिए पर्याप्त धन इस बार दिया गया है।...(व्यवधान) उन्हें मालूम है कि आने वाले चार महीने के अन्दर वह कार्य पूरा हो जाएगा।...(व्यवधान) कई रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा आई.आर.सी.टी.सी. ने प्रदान की है और इसका असेस्मेंट करने के बाद बाकी स्टेशनों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[5*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 84 से 94 और 96 से 100
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150)

[5*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सदन के समक्ष पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्री रवनीत सिंह, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

1) कंपनी सचिव (वृत्तिक तथा अन्य अवचार की जांच की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) संशोधन नियम, 2015 जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 314(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2729/16/15]

2) सा.का.नि. 315(अ) जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा काउंसिल ऑफ दि इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में दिसम्बर, 2014 में हुए निर्वाचन के मामले में कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 10क के अंतर्गत उत्पन्न विवादों का विनिश्चय करने के लिए उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को शामिल करके एक अभिकरण की स्थापना की गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2730/16/15]

3) सा०का०नि० 323(अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2731/16/15]

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : महोदया, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आधिनियम, 2006 की धारा 9 के अंतर्गत जारी आधिसूचना संख्या का0आ0 1432(अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढाँचा तैयार करने हेतु अनुदेश आधिसूचित किए गए हैं, जो राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2732/16/15]

... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

आयुर्वेद, योग मंत्रालय के राज्य मंत्री और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) और स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री कल्याण (श्री श्रीपाद येसो नाइक): महोदया, मेरी ओर से सहयोगी, श्री जगत प्रकाश नड्डा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 7 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 570(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2733/16/15]

... (*व्यवधान*)

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): महोदया, मै बी.ई.एम.एल. लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2734/16/15]

... (*व्यवधान*)

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपद येसो नाईक) :- महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 11 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 7-1/2004 - सीसीएच (पीटी०) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2735/16/15]

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (चैथा संशोधन) नियम, 2015 जो 18 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 390(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2736/16/15]

... (*व्यवधान*)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2737/16/15]

(2) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2015 जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 286(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2738/16/15]

... (*व्यवधान*)

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोध्न) नियम, 2014 जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 97(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2739/16/15]

... (*व्यवधान*)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी भर्ती में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2740/16/15]

...(*व्यवधान*)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2741/16/15]

(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 31क की उपधारा 2(1)(ड)(iv) के साथ पठित अधिनियम की धारा 31क की उप-धारा 2 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 6/1/2014-वसूली, जिसके द्वारा अंतिम संपरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्ति वाले एनबीएफसी को 'वित्तीय संस्थाओं' के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2742/16/15]

(3) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अंतर्गत राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध (संशोधन) नियम, 2015 जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 523(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2743/16/15]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 493(अ) जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 24/2015-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2744/16/15]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 18) - अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2745/16/15]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का सूची से हटाया जाना) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 24 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/27/541 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आश्वस्त ऋण लिखतों की लोक प्रस्थापना और सूचीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एनआरओ/ओआईएई/ जीएन/2015-16/001 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2746/16/15]

(7) शेयर बाजार घोटाला तथा उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों, जुलाई, 2015 के अनुसरण में की गई-कार्रवाई संबंधी 24वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2747/16/15]

... (*व्यवधान*)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों एवं अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2015 जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 461(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) ख्वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी तथा सिविल सन्निर्माण स्कंध में मुख्य अभियंता (सिविल) का वित्तीय अधिकारी, भर्ती विनियम, 2015 जो 30 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/19(क)/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2748/16/15]

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

महासचिवः माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी होगी:--

'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 24 जुलाई, 2015 को हुई अपनी बैठक में परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर स्वीकृत किया है, जिसे 13 मई 2015 को हुई बैठक में लोक सभा द्वारा पारित किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया। :-

<u>प्रस्ताव</u>

"कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए, जिसे 13 मई, 2015 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के सभा पटल पर रखा गया था।" '

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 23 जुलाई, 2015 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 23 जुलाई, 2015 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.04 ½ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें - (रेल), 2012-13

रेल मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): मैं 2012-13 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.05 बजे

सरकारी विधेयक -पुर:स्थापित

(1) निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2013[6*]

कानून और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों के संशोधनार्थ के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "यह अनुमति कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए दी जाएगी।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : मैं [7**] विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

... (*व्यवधान*)

[6*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II , खंड 2 दिनांक 27.07.2015 में प्रकाशित

[7**] राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

अपराह्न 12.05 ½ बजे

(2) परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015[8*]

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

... (*व्यवधान*)

[8*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II , खंड 2 दिनांक 27.07.2015 में प्रकाशित

अपराह्न 12.06 बजे

परक्राम्य लिखत

(संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण[9*]

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 की सं. 6) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाने जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

... (*व्यवधान*)

[9*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2749/16/15

माननीय अध्यक्ष: अब हम 'शून्यकाल' लेंगे।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप अपने-अपने पोस्टर बैनर नीचे करिये।

... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया कोई पोस्टर और बैनर नहीं।

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन</u>

पंजाब के गुरुदासपुर में हुए आतंकी हमले के बारे में

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): गुरदासपुर में एक गंभीर घटना घटित हुई है। ... (*व्यवधान*) सरकार इसके बारे में एक वक्तव्य देना चाहती है। अभी मुठभेड़ चल रही है, इसके समाप्त होते ही गृह मंत्री गुरदासपुर घटना के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है... (*व्यवधान*)

मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वह इसके बाद गृह मंत्री को अनुमति दें। हम सभा को विश्वास में लेंगे। मुठभेड़ समाप्त होते ही इस बारे में वक्तव्य देंगे। ... (*व्यवधान*) अभी भी मुठभेड़ जारी है और एक बार यह समाप्त हो जाए तो हम इस पर वक्तव्य देंगे... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स से सहमत हूं।...(व्यवधान) गुरुदासपुर में जो बहुत गम्भीर इंसीडेंट हुई है, जिसका अभी मुकाबला चल रहा है, वह बहुत संवेदनशील है।...(व्यवधान) मैं इनसे अपील करना चाहता हूं कि देश के हित में, देश के लोगों के हित में आप दो मिनट के लिए यह जो गुरुदासपुर में घटना हुई है, उस पर हमें चर्चा कर लेने दीजिए और गृह मंत्रालय से रिपोर्ट आ जाने दीजिए।...(व्यवधान) यह देश की सुरक्षा का मामला है, देश के हितों का मामला है। ...(व्यवधान) पंजाब को बर्बाद किया जा रहा है और ये लोग तमाशा देख रहे हैं।...(व्यवधान) इनको इसका नोट लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि पंजाब ने पिछले दो दशकों में बहुत नुकसान उठाया है। ...(व्यवधान) बाहरी फोर्सेज़ मिलकर पंजाब को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ...(व्यवधान) वहां लोग खतरे में हैं और वहां लोग मारे गये हैं। वहां लोगों के घरों में बहुत अफसोस है।...(व्यवधान) ये तमाशा देख रहे हैं, इनको रोका जाये।...(व्यवधान) वहां की जो इंसीडेंट है, उसके साथ इन्हें सामने आना चाहिए।...(व्यवधान) आज राष्ट्र देख रहा है और राष्ट्र के लोग हमारी सरकार से कुछ जानना चाहते हैं और ये लोग तमाशा देख रहे हैं, इन लोगों को रोका जाये। ...(व्यवधान) गुरुदासपुर की जो इंसीडेंट हुई है, उसके साथ सामने आना चाहिए और मैं समझता हूं कि सारे हाउस को इसकी जोरदार निन्दा करनी चाहिए और सब की एक आवाज होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत चौटाला को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मैं दीनानगर में सुबह 5.30 बजे आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ है और जम्मू जा रही बस के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, उसमें कई लोगों की कैजुआलिटी हुई

है और अभी भी थाने को बंधक करके रखा हुआ है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से पंजाब, जो शान्ति से अभी चल रहा था, उसको अशान्त करने की बोर्डर के उस पार से जो कोशिश चल रही है और आन्तरिक सुरक्षा को बिगाड़कर देश में आस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है,...(व्यवधान) ऐसे हालात मैं मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार बयान दे कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और यह सदन उस पर चर्चा करे और चर्चा करके बोर्डर पार से जो आतंकवाद हमारे देश को आस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए एक यूनानिमस रैजोल्यूशन पास किया जाये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल, श्री पी.पी. चौधरी, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री निशिकान्त दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री एस.एस.अहलुवालिया के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : महोदया, यह गंभीर मामला है।...(व्यवधान) सरकार ने इसे ऑलरेडी नोटिस में लिया है।...(व्यवधान) सेंट्रल गवर्नमेंट वहां की स्थिति के बारे में प्रदेश सरकार से बातचीत कर रही है।...(व्यवधान) वहां अभी भी इनकाउंटर चल रहा है।...(व्यवधान) जब इनकाउंटर समाप्त होगा, तब गृह मंत्रालय के द्वारा सरकार वक्तव्य देगी और हम इस पर चर्चा भी करेंगे।...(व्यवधान)

मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।...(व्यवधान) कृपया इसमें अंतराल मत कीजिए।...(व्यवधान) इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान) देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोगों को सदन में एक स्वर में बोलना चाहिए।...(व्यवधान) यह मेरा विपक्ष से अनुरोध है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री हरिओम सिंह राठौड़ जी। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

तथागत जी, एक मिनट रूकिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग पोस्टर नीचे कीजिए। [अनुवाद] मैं फिर से कह रही हूँ कि इनकी अनुमति नहीं है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मेरा फिर से आप सभी से अनुरोध है कि [अनुवाद] इनकी अनुमति नहीं है। यह नियम के विरुद्ध है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इस प्रकार से बैनर्स दिखाना अगेंस्ट-द-रूल है। प्लीज़, इसे नीचे कीजिए। प्लीज़, इसे हटाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा फिर से निवेदन है। [अनुवाद] यह नियम के विरुद्ध है।

तथागत सत्पथी जी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): जिस तरह से गुरुदासपुर की घटना हुई है यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे यह पता चलता है कि भारत की धरती पर एक बार फिर आतंकवाद पूरी ताकत के साथ वापस पनपना शुरू हो गया है। पूरे जम्मू-कश्मीर में न सिर्फ आई.एस.आई.एस. के झंडे लहरा रहे हैं बल्कि एक खतरा सा भी बना हुआ है। यह खतरा प्रत्यक्ष है। यह खतरा यहीं देश में है। यह ऐसा समय है जब सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों तथा सभी को एकजुट होकर देश के इस खतरे से लड़ना होगा। यह राजनीतिकरण का विषय नहीं है।

हम इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपार बल का प्रयोग किया जाना चाहिए और भारत को ऐसा दर्शाना चाहिए कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी को श्री तथागत सत्पथी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, आज जो कुछ पंजाब के गुरदासपुर में दीनानगर में हो रहा है, यह कंडेम्नेबल है। [अनुवाद] हम इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। लोग अभी भी वहां लड़ रहे हैं। वहां सेना तैनात है। लेकिन सवाल यह है कि आज हम जम्मू-कश्मीर और पंजाब में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी समूह फिर से उभर आये हैं। इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। सरकार को पंजाब और जम्मू-कश्मीर में हो रही आतंकवादी घटनाओं के लिए तथ्य सामने रखने चाहिए। आतंकवाद का पुनरुत्थान फिर से क्यों देखा जा रहा है?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब को बताना चाहूंगी कि चूंकि अभी कार्रवाई चल रही है, और जैसा माननीय वेंकैया जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री स्वयं आकर सदन में अपना बयान देने वाले हैं। तब तक आप कृपया करके सहयोग कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): माननीय अध्यक्ष महोदया, गुरुदासपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी उनके साथ हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में वहां क्या हो रहा है। हम इस तथ्य का भी स्वागत करते हैं कि इस संबंध में माननीय गृह मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जाएगा... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इस इश्यू के बारे में तो मैंने कहा है। आप तेलंगाना के इश्यू के बारे में बोलना चाहते थे।

... (व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैडम, अभी मैं तेलंगाना इश्यू के ऊपर नहीं बोलना चाह रहा हूं। अभी मैं गुरदासपुर के इश्यू के ऊपर बोलना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसके ऊपर तो मैंने बता ही दिया। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो माननीय सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बोलने के लिए एलाउ नहीं करेंगे।

... (व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, देश के लिए हम लोग सब एक हैं।...(व्यवधान)

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।...(व्यवधान) वहां पर निर्मित फोर-लेन रोड, जो खण्ड गोमती और उदयपुर के बीच निर्माणाधीन है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत सारी आनियमितताएं, बहुत सारी कमियां रह गयी हैं।...(व्यवधान) उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पुनरीक्षण की आवश्यकता है।...(व्यवधान) वहां की आबादी, जो दो भागों में विभाजित हो रही है, उन दोनों भागों में आने-जाने के लिए कोई सुविधा उस प्रोजेक्ट में नहीं रखी गयी है।...(व्यवधान) कई जगह स्कूल और गांवों की आबादी अलग-अलग दिशा में है और बीच में फोर-लेन नेशनल हाई-वे निर्मित हो रहा है।...(व्यवधान) ऐसी स्थिति में वहां के बालकों को सड़क पार करने में बहुत असुविधा हो रही है।...(व्यवधान) नाथूद्वारा क्षेत्र में

नगर में जाने के रास्ते अवरूद्ध हो गए हैं।...(व्यवधान) केलवा के अंदर जो अंडरपासेज की जरूरत है, वहां वह अंडरपासेज नहीं बने हैं।...(व्यवधान)

ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दें और जो अभी वहां निर्माण की स्थिति है, उसमें जो परिवर्तन की आवश्यकता है, उसे परिवर्तित करके वहां पर जनता को उन सुविधाओं को उपलब्ध कराएं।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक बार पुनः निरीक्षण करके वहां पर आवश्यकता के अनुसार जो भी निर्णय लेने हैं, वे लिए जाएं।...(व्यवधान) मेरा आपसे यही निवेदन है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश।

... (*व्यवधान*)

श्री बी. श्रीरामुलु (बेल्लारी): माननीय अध्यक्ष महोदया, कर्नाटक में प्रतिदिन 10 से 15 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। [हिन्दी] जो फार्मर्स शुगरकेन, पैडी ग्रो करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से डेली 15 से 20 मेंबर्स सुसाइड कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जो कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने कमिट किया था, जो शुगरकेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एक टन के लिए 2,650 रूपए कमिटमेंट किया था। जो कमिटमेंट किया, उसे अभी तक फुलफिलमेंट नहीं किया है। ...(व्यवधान) डेली 10 से 15 मेंबर्स कर्नाटक में सुसाइड कर रहे हैं। ...(व्यवधान) कर्नाटक के फार्मर्स को सेव करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फार्मर्स को सुसाइड से रोकना चाहिए। ...(व्यवधान) इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो 2,650 रूपए प्रति टन शुगर केन के लिए कमिट किया था, अभी वे पैसे फार्मर्स को नहीं मिल रहे हैं। ...(व्यवधान) इसलिए मैं चाहता हूं ऐज अर्ली ऐज पॉसिबल फार्मर्स को दिया कमिटमेंट फुलफिलमेंट करना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फार्मर्स ने बैंक्स से लोन लिए हैं, उनको बच्चों की शादी भी करनी है, वहां बारिश भी

नहीं हुई है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो कमिटमेंट किया था, वह कमिटमेंट पूरा करके उनको पैसे दिलाने की मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री बी. श्रीरामुलु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरि): माननीय अध्यक्ष, दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में चिटफंड कंपनियां अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ काफी लंबे समय से समुदाय को सेवा दे रही हैं। पंजीकृत चिटफंड कंपनियां गैर-वित्तपोषित कंपनियों को वित्त पोषित करने में बहुत उपयोगी रही हैं।

महोदया, इन चिटफंड कंपनियों को चिटफंड अधिनियम, 1982 द्वारा विनियमित किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। चिटफंड कंपनियाँ भी ऋण कंपनियों, किराया खरीद वित्त कंपनियों और पट्टे पर देने वाली कंपनियों की तरह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाई हैं। वित्त कंपनियों को मिलने वाले ब्याज को सेवा कर से 100 प्रतिशत छूट दी गई है। किराया खरीद और पट्टे पर देने वाली कंपनियों को सेवा कर लगाने से 90 प्रतिशत तक छूट दी गई है।

सेवा कर के मामले में चिटफंड कंपनियों के साथ अन्य एन.बी.एफ.सी. के समान व्यवहार करना उचित और तर्कसंगत है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अन्य वित्तीय संस्थानों के समान सेवा कर में 14 प्रतिशत की कटौती पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : महोदया, राजस्थान के कोटा, बूंदी जिले के अंदर जंगली जानवरों के कारण वहां के किसानों की फसल सुरक्षित नहीं है। ...(व्यवधान) हालत यह है कि नदी के किनारे-किनारे पूरे राजस्थान के

अंदर जंगली जानवर किसानों की खड़ी फसल को समाप्त कर देते हैं।...(व्यवधान) इससे किसानों का करोड़ों रूपए का नुकसान हो रहा है। ...(व्यवधान)

अभी सांगौर के अंदर एक सुअर ने एक व्यक्ति को मार दिया। ...(व्यवधान) पहले फसलें खराब होती थीं और अब लोगों की जानमाल भी सुरक्षित नहीं है। ...(व्यवधान) मेरा सरकार से निवेदन है कि किसानों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए व्यापक इंतजाम करना चाहिए। ...(व्यवधान) ऐसे जंगली जानवर जिनके बढने से किसानों की फसल खराब हो रही है, उनको रोकने का इंतजाम भी करना चाहिए। ...(व्यवधान) तार-बाड़े के आधार पर जंगली जानवरों को रोककर हम किसानों की फसल को सुरक्षित बचा सकें, लोगों की जान-माल को सुरक्षित रख सकें, इसके इंतजाम करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। ...(व्यवधान)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदया, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद हमीरपुर में बिंवार कस्बे में, जहां बिंवार थाना पड़ता है, वहां सवेरे 6 बजे एक लड़की जिसका नाम सुकृति है, वह वहां ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। ...(व्यवधान) समाजवादी पार्टी के जो वहां के जिलाध्यक्ष हैं ...(व्यवधान) उनके साथ जो चलने वाला है और अपने को पदाधिकारी कहता है। जो वहां पर जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव है, उससे उसने छेड़-छाड़ की।...(व्यवधान) जब उसके पिता जी थाने में रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे...(व्यवधान) तो थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। ...(व्यवधान) उसके बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली।...(व्यवधान) ऐसी ही घटनायें लगातार होती रहती हैं।...(व्यवधान) हर जनपद में यही हाल है।..(व्यवधान) वहां पर जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले नहीं चलाये...(व्यवधान) वहां पर कोई पानी की बौझार नहीं की...(व्यवधान) सीधे गोली चला दी और वहां पर रोहित पांडे की मृत्यु हो गयी,...(व्यवधान) जिसकी उम्र 25 साल थी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और श्री अजय मिश्रा टेनी को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह राज्य का मामला है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप तख्ती पहले रख दीजिए, फिर मैं बात करूंगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदया, गांवों में फसलें बहुत कम होती हैं और बड़े पैमाने पर विदेश से दालें लानी पड़ती हैं।...(व्यवधान) जिससे देश की करैंसी बड़े पैमाने पर खर्च होती है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्रालय से विनती करना चाहूंगा...(व्यवधान) कि किसानों को दाल और तेलहन की फसल लगाने के लिए...(व्यवधान) उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी किसानों को देनी चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह मांग यहां रखता हूं। ...(व्यवधान)

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : अध्यक्ष महोदया, आज देश के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ...(व्यवधान) वहां डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं।...(व्यवधान) सरकारी चिकित्सक शहरों में रह रहे हैं।...(व्यवधान) कमोबेश, यह पूरे देश की हालत है।...(व्यवधान) वहां के ग्रामीणजन स्थानीय चिकित्सकों के सहारे अपना जीवन यापन किसी तरह से कर रहे है,...(व्यवधान) वे स्वास्थ्य लाभ ले पाते हैं। ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि ...(व्यवधान) आप इनको यहां से हटाइए, नहीं तो मैं … (*व्यवधान*)... [10*] बोलने लगूंगा। ...(व्यवधान)

[10*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है।

श्री जनार्दन मिश्र: मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि सारे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुला कर, ...(व्यवधान) एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाये, ...(व्यवधान) कि स्थानीय चिकित्सक जो अभी भी चिकित्सा में लगे हुए हैं...(व्यवधान) उनको एक-दो साल की ट्रेनिंग दे कर, विधिवत् डिग्री दी जाये ...(व्यवधान) और उनको मान्यता प्राप्त चिकित्सक के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री जनार्दन मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा, उपस्थित नहीं।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वर्ष 1952 सें लेकर वर्ष 2015 तक जितने स्कैंडल्स इस देश में हुए हैं, ...(व्यवधान) चाहे वह मुंदड़ा कांड हो, ...(व्यवधान) चाहे वह जीप कांड हो, ...(व्यवधान) चाहे वह बोफोर्स हो...(व्यवधान) चाहे हमारे दो प्रधानमंत्री जी, जिनके ऊपर एफ.आई.आर. हो।...(व्यवधान) ... * के ऊपर एफ.आई. आर. हो... * के ऊपर एफ.आई. आर. हो * को भगाने की बात हो. ... * को भगाने की बात हो...(व्यवधान) ... * में दो-दो मुख्यमंत्रियों के फंसने की बात हो...(व्यवधान) क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में,...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेश के कोर्ट में हम ब्राइब लेते हैं,...(व्यवधान) हम करप्श्न करते हैं।...(व्यवधान) एक करप्ट कंट्री के रूप में हमारा नाम आ रहा है।...(व्यवधान) ... [11*]के जेल जाने का सवाल हो।...(व्यवधान)

[11*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी व्यक्ति का नाम कार्यवाही में नहीं जायेगा।

... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : मेरा यह कहना है कि चाहे टू-जी हो, सी.डब्ल्यू. जी. या कोलगेट हो ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 2015 तक जितने करप्शंस हुए हैं...(व्यवधान) सारे करप्शंस का एक व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए।...(व्यवधान) और ये चालीस लोग जो पार्लियामेंट का मुंह बंद करना चाहते हैं,...(व्यवधान) जिन्होंने बंधक बना रखा है, ...(व्यवधान) जिन्होंने रैनसम कर रखा है,...(व्यवधान) इसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे, ...(व्यवधान) आप कोई व्यवस्था करें...(व्यवधान) पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार के ऊपर एक डिसकशन हो।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, कुमारी शोभा कारान्दलाजे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): मैडम, मैं तीसरी बार इस विषय को सदन में उठाने जा रहा हूं।...(व्यवधान) मेरा संसदीय क्षेत्र ओडिशा में नबरंगपुर है, ...(व्यवधान) जहां बी.एस.एन. एल. की सेवा बहुत खराब है...(व्यवधान) उसके बारे में बार-बार बोलने के बाद भी सुधार नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान) पोडिया, कुडमुलगुम्मा और खैरपुट तीन ब्लॉक्स हैं।...(व्यवधान) जहां आज के दिन भी बी.एस.एन.एल. का टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है। ...(व्यवधान). उसके बाद मोटू, पोटेरू, पदमगिरि जो मलानगिरि जिले में आता है, कुंदई जो नबरंगपुर जिले में आता है, वहां टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया है, लेकिन वह अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें मेनटेनैंस का अभाव है। वैसे बीएसएफ कैम्प और बालिमेला रिज़रवायर में कुछ कट ऑफ एरिया है जहां कोई रास्ता नहीं

और वहाँ 8 ग्राम पंचायत हैं। वहां वीसैट लगाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक वहां वीसैट लगाने का काम चालू नहीं हुआ है। चंदाहांडी, झरीगाम, रायघर, उमरकोट, डाबूगाम पांच ब्लॉक नबरंगपुर जिले में हैं जहां रोड का काम चलने से बार-बार बीएसएनएल की केबल कट जाती है जिससे नेटवर्क खराब हो जाता है। इन सब कारणों से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती जिससे लड़के समय पर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। वे जॉब के लिए ऐप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी काम-काज भी ढंग से नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय पर अपलोड नहीं होने से एनआरईजीएस की पेमैंट भी समय से नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इससे प्राइवेट प्लेयर्स फायदा ले रहे हैं। उनकी सेवा चल रही है जबकि बीएसएनएल की सेवा नहीं चल रही है। मैडम, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन मंडली नबरंगपुर में बीएसएनएल सेवा को तंदरुस्त किया जाए। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जो कर रहे हैं, वह नियम बाह्य है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर खड़गे जी कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले इन्हें वापिस ले जाना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डा. उदित राज - उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब तक आपके पोस्टर दिखाए जाएंगे तब तक किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। यह क्या है? नियम बाह्य करते रहें और बोलने की इजाजत मांगे, दोनों बातें नहीं हो सकतीं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान (संबलपुर): महोदया, मैं प्रभावित किसानों को सी.आर.एफ. के तहत इनपुट सहायता बढ़ाने के लिए सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

आधुनिक समय में अधिक तकनीकी निवेश के साथ खेती बहुत अधिक लागत वाली हो गई है। हमारे राज्य ओडिशा में नियमित तौर पर आने वाली किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा भारी क्षति पहुंचाती है। रोग और कीट आक्रमण आदि से किसानों को अपूरणीय क्षति होती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कृषि क्षेत्र, जो हमारे देश की जीवन-रेखा है, को काफी नुकसान होने की आशंका है। जब तक पीड़ित किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की जाती, तब तक उनके लिए अपनी कृषि व्यवसाय को पुनः स्थापित करना असंभव होगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को आपदा राहत कोष से दी जाने वाली निवेश सहायता को मौजूदा 6800 रुपये और 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर क्रमशः न्यूनतम 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर किए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह, स्थायी और बागवानी फसलों के फसल नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 18000 रुपये की सहायता राशि को भी बढ़ाकर न्यूनतम 4000 रुपये करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव सातव।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री सी. गोपालकृष्णन।

श्री सी. गोपालकृष्णन (नीलगिरिस): वणक्कम, माननीय अध्यक्ष। इस मुद्दे को उठाने से पहले, मैं हमारी नेता पुरैची थलाइवी अम्मा के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित सभा में चुना और भेजा और मैं उन्ही के आशीर्वाद से इस महत्वपूर्ण और अतिआवश्यक सार्वजनिक मुद्दा उठा रहा हूं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, ई-कचरे में खतरनाक सामग्रियां होती हैं जो मानव स्वास्थ्य और

पारिस्थितिक संसाधनों के लिए खतरा पैदा करती हैं। भारत में प्रति वर्ष लगभग 146,000 टन ई-कचरा उत्पन्न होता है। हल में हुए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में लगभग 8000 मिलियन टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न होगा। वर्तमान में, ई-कचरा का केवल 3 प्रतिशत ही पुनर्चक्रणकर्ता के पास पहुंचता है। उन्हें नागरिकों के लिए शहरों के हर कोने में ई-कचरे के अलग-अलग संग्रह बैंक स्थापित करने चाहिए, ताकि लोग उन बास्केट में अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डाल सकें। यह सुझाव दिया गया है कि प्रमुख नगर निगमों को उपभोक्ताओं से सीधे ई-कचरा एकत्र करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि इसे पुनर्चक्रणकर्ता तक पहुँचाया जा सके।

हालांकि भारत सरकार ने ई-कचरा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कानून बनाए हैं, लेकिन इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसी पहलों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि अवसंरचना का दर्जा, कर में छूट, रियायती ऋण, और कार्बन क्रेडिट, उन संस्थाओं को जिनके पास इससे निपटने के लिए आवश्यक जानकारी और अवसंरचना उपलब्ध हैं।

अंत में, मैं संबंधित अधिकारियों और सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोगकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि जब तक प्रशासनिक दिशानिर्देश लागू नहीं हो जाते और संबंधित अधिकारियों और हितधारकों द्वारा प्रक्रियाएँ निर्धारित नहीं की जातीं, तब तक ई-कचरे को असंगठित सुविधाओं में न फेंकें।

इसलिए, मैं सरकार से सतत विकास सिद्धांत के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं, जिसे विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (डब्ल्यू.सी.ई.डी.) की प्रतिवेदन में बहुत उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर दो रेलगाड़ियों की ठहराव की मांग करता हूं। सप्ताहिक रेल जियारत एक्सप्रेस पटना-अजमेर, बनारस-हरिद्वार और बांद्रा-रामपुर का गंगापुर सिटी में ठहराव होना चाहिए। ...(व्यवधान) गंगापुर सिटी स्टेशन पर स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन न. 2471/2473/2475/2476 गुजरात सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस 1917/1918 कोच्चि-अमृतसर-केरल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन संपर्क क्रांति यानि कोटा एक्सप्रेस का गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ठहराव होना चाहिए। ...(व्यवधान) देहरादून एक्सप्रेस का ठहराव गंगापुर सिटी में बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यहां पर करीब 20-30 गांवों का एरिया है और रेल यहां रुकती नहीं है इसलिए माननीय रेल मंत्री जी यहां रेलों के ठहराव के लिए आदेश जारी करें।

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष जी, सारे देश की किसानों की समस्या है। ...(व्यवधान) आपसे निवेदन है कि मुझे एक-दो मिनट आधिक दिया जाए। मैं इन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सदन को पिछले 4-5 दिनों से 40 लोगों द्वारा ब्लेकमेल किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि वे सीट पर चले जाएं और किसानों की समस्याओं को बैठकर सुनें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : असली बात यह है कि इन्हें किसानों से कोई लेना-देना नहीं है, आप अपनी बात कहिए।

श्री हुकुम सिंह: लगभग 55 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ना उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 23 लाख हेक्टेयर में गन्ना पैदा होता है। ...(व्यवधान) दुर्भाग्यवश पिछले चार साल से गन्ना किसान तड़प रहा है लेकिन उसको भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 6000 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना भुगतान के लिए दिया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पैसा देने के बाद अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। ...(व्यवधान) सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आखिर जितनी भी चीनी पैदा होती है उस चीनी

का उत्पादन, आयात-निर्यात पर सरकार का नियंत्रण है, बिना सरकार के आदेश के कोई इसका आयात-निर्यात नहीं कर सकता। आखिर क्या कारण है कि इन चार सालों में हम इसके लिए कोई नीति नहीं बना पाए कि गन्ना किसानों को तड़पना न पड़े। गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपये अभी भी गन्ना मिलों के ऊपर बकाया है, यह भुगतान कब होगा? ...(व्यवधान) इस समस्या को माननीय सदस्यों ने भी उठया लेकिन दुख की बात है कि आत्महत्याएं जारी हैं, इस बात का कोई जवाब देने वाला नहीं है। ...(व्यवधान) जिस किसान की धान की फसल गई, गेहूं की फसल गई, गन्ने की फसल गई वह कैसे गुजरा कर रहा होगा? सरकार विचार करके गन्ने के ऊपर कोई नीति बनाए। तभी समस्या का समाधान हो सकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ...(व्यवधान) करोड़ों किसान परिवार तबाह होते रहें, फिर हम यहां किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मेरा सारा क्षेत्र गन्ने से आच्छादित है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो वहां एक-एक किसान हमसे कहता है कि हम कहां से पैसा लायें, कहां से बेटी की शादी करें, कहां से मकान बनवायें, कहां से बच्चों की फीस दें।? ...(व्यवधान) मेरा बहुत विनम्रता के साथ निवेदन है ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने कृपा की और छः हजार करोड़ रुपया दिया, लेकिन वह छः हजार करोड़ रुपया कहां गया? वह अभी तक किसानों को क्यों नहीं मिला, यह जानकारी लेने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि चार दिनों से इन लोगों ने सदन को बंधक बना रखा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत और श्री प्रहलाद सिंह पटेल को श्री हुकुम सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती के. मरागाथम (कांचीपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदया, केंद्रीय विद्यालय माता-पिता द्वारा सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले स्कूल में से एक है क्योंकि वे सर्वोत्तम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। हर साल

के.वी. स्कूलों में दाखिले के लिए भारी मांग होती है, लेकिन सीटों की कम संख्या आवंटित किए जाने के कारण कई अभिभावक निराश हो जाते हैं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांचीपुरम में, के.वी. स्कूल केवल कलपक्कम में स्थित है। वहां की जनसंख्या और बुनियादी आवश्यकता के अनुसार, यदि कांचीपुरम या चेंगलपट्टू में एक और के.वी. स्कूल खोला जाए तो यह बहुत अच्छा रहेगा।

अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त स्थानों में से किसी एक स्थान पर एक के.वी. स्कूल को मंजूरी दी जाए जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत दी। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर की सीमा की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां आये दिन पाकिस्तान की गोलियों से जम्मू-कश्मीर की सीमा पर रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता है, उनके पशुओं और उनके घरों को निशाना बनाया जाता है। वहां आये दिन लोग शहीद होते रहते हैं। ...(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर सरकार की कोई ऐसी पालिसी नहीं है कि जो लोग शहीद होते हैं, उनके परिवार वालों को कोई नौकरी दी जाये या फिर उनको कुछ धनराशि दी जाये, जिससे उसका परिवार अपना निर्वाह कर सके। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि वहां लोगों को पलायन करना पड़ता है, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा अस्त-व्यस्त होती है। इससे बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ...(व्यवधान) गोलीबारी के कारण सीमा पर स्थित भारतीय किसानों के घर और फसल, दोनों खराब हो जाते

हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों में देश-भक्ति का जो ज़ज्बा है, वह बरकरार रहता है। ...(व्यवधान) ये लोग बिना किसी हथियार के भारतीय सेना के साथ सीमा की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए, विशेष तौर पर सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भर्ती योजना के तहत आभियान चलाया जाये और उन नौजवानों को भारतीय सेना और अर्द्धसैनिकों बलों में भर्ती किया जाये, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। ...(व्यवधान)

हमारा सरकार से यह भी निवेदन है कि हमारे भारतीय जवान जो पाकिस्तान की गोली से शहीद होते हैं, उनके परिवार वालों को कम से कम दस लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : स्पीकर महोदया, आपने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जैक्ट पर बोलने की इजाजत दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आई.आई.टी. रूड़की के बारे में बोलना चाहता हूं। वहां से 71 स्टूडैंट्स को निकाल दिया गया, जिसमें 31 स्टूडैंट्स अनुसूचित जनजाति, 23 स्टूडैंट्स अनूसूचित जाति और अन्य सामान्य वर्ग के स्टूडैंट्स हैं। अभी हाल में एक सर्वे किया गया कि दुनिया में शिक्षण के जो उच्च संस्थान हैं, उनमें भारत का क्या स्थान है? ...(व्यवधान) 300 में से आईआईटी को भी स्थान नहीं मिला, किसी युनिवर्सिटी को स्थान नहीं मिला। इन आईआईटीज़ को पैसा और संसाधन मिलते हैं, जमीन की भी कमी नहीं है। इनको एटोनमी है, कि वे निर्णय ले सकते हैं। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर और ख्याति प्राप्त संस्थान बनाने में सक्षम क्यों नहीं हैं, लेकिन वे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को प्रताड़ित करने में आगे हैं?

मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम से नॉन प्रेक्टिकल एजुकेशन और थ्योरी की वजह से रिसर्च में बहुत पीछे हैं, इस कारण इनको विक्टिमाइज किया जा

रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इनमें बेसिक टेलेंट नहीं है, बेसिक ग्रे मैटीरियल नहीं है कि वे आईआईटी न कर सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक ओर माननीय प्रधानमंत्री ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' आभियान शुरु किया है वहीं दूसरी ओर स्टेट बोर्ड से हमारी बेटियां दिल्ली युनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आती हैं लेकिन दिल्ली युनिवर्सिटी ने नया कानून बनाकर उनके मार्क्स में दस प्रतिशत की कटौती की है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि या तो एचआरडी मिनिस्ट्री स्टेट बोर्ड को गाईडलाइन दे नहीं तो दिल्ली युनिवर्सिटी को आदेश दे ताकि हमारे बहनों और भाइयों को, जो स्टेट बोर्ड में 90-96 परसेंट लेकर आए हैं, बराबर मात्रा में दिल्ली युनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं क्योंकि आज सभा में विधि मंत्री भी उपस्थित हैं। मैंने पहले कानून मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि हमारे राज्य उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया है लेकिन उच्च न्यायालय का नाम अभी भी उड़ीसा उच्च न्यायालय ही है। हमने इस बारे में पहले भी केंद्र सरकार से मांग की थी कि उड़ीसा उच्च न्यायालय का नाम बदलकर ओडिशा उच्च न्यायालय किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के नाम आज भी स्वतंत्रता से पूर्व की तरह रखे जाते हैं।

अब समय आ गया है कि उच्च न्यायालयों का नाम बदला जाए। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस मुद्दे पर कार्रवाई शुरू की जाए ताकि उड़ीसा उच्च न्यायालय का नाम बदलकर ओडिशा उच्च न्यायालय किया जा सके क्योंकि राज्य का नाम 'ओडिशा' है।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान बिहार के गन्ना किसानों की दुर्दशा की तरफ दिलाना चाहता हूं। जनवरी के बाद से अभी तक किसी शुगर फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं किया है जिस कारण मेरे पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने पिछले साल इनकी मदद की थी लेकिन बिहार सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं।

मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए केंद्र से सहायता दें जिससे उनके घर में शादी, ब्याह आदि कार्य हो सकें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 12.44 बजे</u>

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बात नहीं करूंगा, इसलिए कि वह तो आपके पास है और उसके लिए हम अलग से विनती करेंगे। लेकिन मेरी एक विनती थी कि जब पंजाब में जो टैरेरिस्ट अटैक हुआ है तो उसके बारे में बहुत से सदस्यगणों ने अपनी बात को रखा। मैं भी वही बात रखना चाहता था लेकिन मैंने यह समझा कि जब नायडू साहब ने कल जब मुझे सुबह फोन करके कहा कि सारे फैक्ट्स आने के बाद हम इस मुद्दे पर सदन में स्टेटमेंट करेंगे तो मैंने यह समझा कि होम मिनिस्टर साहब सारे फैक्ट्स लाने के बाद और...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जितेन्द्र जी, आप बैठिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वहां एनकाउंटर चल रहा था और पूरी घटना के बारे में उनके पास जानकारी नहीं थी तो इसलिए उन्होंने यह सलाह मुझे दी, मैंने यह सोचा कि सुओ मोटो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से जब आ रहा है तो इस बात को हम बाद में रखेंगे। हमने ऐसा सोचा था लेकिन गंभीर बात यह है कि इसी सदन में फिर वह सवाल दूसरे सदस्य ज़ीरो ऑवर में उठाएं और मैं भी वही सवाल दोहराना चाहता था, ...(व्यवधान) लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तो उस वक्त मुझे बुरा लगा और हम जो धरना या प्रोटैस्ट कर रहे हैं, उससे आप भी बड़ी दुखी थीं लेकिन जब धरना चल रहा था, जब प्रोटैस्ट हो रहा था तो एक घंटा क्वैश्चन ऑवर चला। ...(व्यवधान) 20-25 मिनट प्रश्न काल चला, 45 मिनट्स ज़ीरो ऑवर चला और बहुत सी चीजों पर यहां आपने प्रस्ताव करने के लिए उनको अनुमति दी लेकिन जब उसी माहौल में मैं उठा, माहौल तो कुछ चेंज नहीं हुआ था, लेकिन उस

माहौल में मुझे यह कहा गया कि आप उनको वापिस बिठाइए, पहले उनको वापिस बिठाने के बाद तब मैं बोलूं। ...(व्यवधान) यह इंजस्टिस है। यह नाइंसाफी है और यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्लीज। मैं यहां हूं। मुझे अच्छी तरह पता है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष जी, अगर सदन में इस तरीके का एटीट्यूड रहा और हमारे बोलने के बावजूद हमें रोका जाता है, हम जो कहना चाहते हैं, देश के लिए हम सभी लोग एक हैं, इसीलिए तो मैंने उस सवाल को आपके कहने पर नहीं उठाया।...(व्यवधान) लेकिन जब दूसरों को मौका मिलता है और कांग्रेस के लोग जब बात करने के लिए ठहरते हैं या दूसरे अपोजीशन के लोग ठहरते हैं तो किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता। यह टैरेरिस्ट इश्यू सबके लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब नेशनल इश्यू पर बात हो रही है तो हमारा फर्ज है कि हम उसमें हिस्सा लें लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आपने हमें इस चर्चा में हिस्सा नहीं लेने दिया। इसकी क्या वजह है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बताऊंगी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: क्यों ऐसा हुआ और किसने इतना प्रेशर डालकर हमें बोलने से रोक दिया, मुझे मालूम नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बताऊंगी। मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने भी पहले ऐसा किया है। ऐसे कई हैं। ...(व्यवधान) यह डिसरप्शन आज की बात नहीं है। इस डिसरप्शन को समर्थन सुषमा स्वराज जी ने भी दिया है, जेटली साहब ने दिया है, नायडू साहब ने भी दिया है।...(व्यवधान) पंजाब में टेरेरिस्ट घटना हुई है, इसका हम खंडन करते हैं लेकिन सरकार की इंटेलीजेंस कहां गई थी, क्या उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं था। इस बारे में एक्शन क्यों नहीं लिया गया?...(व्यवधान) राज्य सरकार भी यह कहती है कि सैंट्रल सरकार का फेल्योर है।...(व्यवधान) दोनों मिलकर हैं।...(व्यवधान) केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि बार्डर पर रक्षा करने की है।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): खड़गे जी, यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही है।...(व्यवधान) हम ऐसे एटीट्यूट का खंडन करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चंदूमाजरा जी, यहां चर्चा नहीं चल रही है। आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रही हूं।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, पंजाब में आतंकवादी हमले की कम से कम चर्चा तो हुई और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी सभा में अपना भाषण रिकॉर्ड करने में सफल रहे हैं। यह एक अच्छी मिसाल है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को पूर्ण प्राथमिकता के साथ लिया जाना चाहिए और हम यथाशीघ्र इस पर चर्चा

शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी आवश्यक हैं। उन मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। चाहे यह भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, भूमि से जुड़ा मामला हो, या काला धन का मुद्दा, चाहे यह कोई भी मुद्दा हो, हम सभी मुद्दों पर सभा में चर्चा करना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं से तो चर्चा की शुरूआत होनी चाहिए।

सरकार को आतंकवाद के मुद्दे से बहुत सख्ती से निपटना होगा। माननीय गृह मंत्री को यथाशीघ्र सभा में आकर अपना वक्तव्य देने दीजिए।

श्री एम. वेंकैया नायडू: मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता श्री खड़गे जी, जो वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं, ने अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर दी है।

महोदया, मैं सम्मान के साथ पूरी सभा को बताना चाहता हूं कि मुझे जैसे ही इस घटना का पता चला मैंने गृह मंत्री जी से सम्पर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि वे पंजाब के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं और पंजाब सरकार को आवश्यक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद, यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि मुठभेड़ जारी है। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि प्रतिपक्ष को भी बताया जाए कि सरकार इस विषय में क्या सोच रही है। मैंने आज सुबह श्री खड़गे जी को फोन पर वहां की स्थिति के बारे में अवगत कराया। एक बार स्थिति ठीक हो जाए तो सरकार सदन में अपना वक्तव्य देना चाहती है। उन्होंने भी यही बात दोहराई। लेकिन मुद्दा यह है मैडम, मैंने आपसे भी बात की और अवगत कराया। सदन में कोई भी सदस्य कब क्या इश्यू उठाना चाहते हैं, यह आधिकार उन्हें है। सरकार की तरफ से मैंने इतना ही कहा है कि जो मामला सदस्यों ने उठाया है, इस बारे में बाद में गृह मंत्री जी वहां मुठभेड़ समाप्त होने के बाद एक वक्तव्य देंगे और उस समय किसी को पूछना है तो वह पूछ सकता है, इतना ही सरकार की ओर से कहा है। दुर्भाग्य है, यह इश्यू बहुत गंभीर है, यह पालिटिकल इश्यू नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी रिलेटिड इश्यू है। पूरी सभा को एक स्वर से बोलना चाहिए। यदि अध्यक्षपीठ ने किसी सदस्य को मुद्दा उठाने की अनुमति दी है और माननीय सदस्य ने उस मुद्दे को सबके समक्ष उठाया है और कुछ और अन्य सदस्यों ने उनके साथ मिलकर उस मुद्दे पर अपनी एकजुटता व्यक्त की

है तथा वे चाहते हैं कि सरकार उनके प्रश्न का जवाब दे, तो मैंने भी खड़े होकर फिर कहा कि मुठभेड़ समाप्त होने के बाद गृह मंत्री सदन में एक वक्तव्य देंगे। यही मैंने कहा है। सबसे पहले, सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरा, यह काफी अन्यायपूर्ण है, मैं खड़गे जी का बहुत सम्मान करता हूँ, कि इस समय जब मुठभेड़ चल रही है, ऐसे में खुफिया विफलता के लिए सरकार पर दोष ढूंढने की कोशिश की जाए। खड़गे जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुठभेड़ समाप्त होने दीजिए। गृह मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य देंगे। सभा को इस पर विस्तृत चर्चा करने दीजिए। अन्य सदस्य भी अपने विचार रखें। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपको नहीं बोल रहे हैं। मुझे उत्तर देना है, इनकी बातों का। मैं जवाब दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बातों का जवाब मैं दूँगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वेंकैया नायडू: यह इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाने का समय नहीं है। मैं यही अपील करने की कोशिश कर रहा हूं। … (*व्यवधान*)

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष को यह बताने की जरूरत नहीं है कि अध्यक्ष किसी को अनुमति क्यों दे रहे हैं या किसी को अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। … (*व्यवधान*) हम चाहते थे कि सदन व्यवस्थित रहे। सभा व्यवस्थित न होने के लिए कौन जिम्मेदार है? जिन लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा की, वे अध्यक्ष को दोष नहीं दे सकते। … (*व्यवधान*) उन्होंने ही यह स्थिति पैदा की है। उन्होंने अपने नेताओं को बोलने नहीं दिया। अब उन्हें अध्यक्ष में समस्या कैसे हो सकती है? … (*व्यवधान*) मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पर

विचार करें, आत्मनिरीक्षण करें और ऐसी स्थिति पैदा न होने दें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चित भी आपकी और पट भी आपकी। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय खड़गे जी ने अपनी बात कही है। बात ठीक है। एक बात आप सब लोग भी समझ लें। श्री चन्दूमाज़रा जी गुरुदासपुर से आ रहे हैं, उन्होंने कहा था। मगर उसके बाद मैंने जीतेन्द्र जी को भी कहा था कि इस इश्यू पर जब तक आपके लोग वेल में हैं, आप नहीं बोलेंगे। मैंने आपको भी मना किया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उस वक्त भी मैंने यही कहा था।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसलिए आपको भी अलाऊ नहीं किया और आपको भी वही कहा था। मैंने जीतेन्द्र जी को भी कहा था, मैंने उन्हें भी यही बात कही कि आप हाई के इश्यू के बारे में कहना चाहते हैं, तो भले ही आपके लोग कहें, लेकिन लोग वेल में भी खड़े हैं और आप कहेंगे, मैंने इनको भी अलाऊ नहीं किया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यही बात मैंने आपको भी कहा था कि जब तब आपके आपके लोग वेल में हैं मैं अनुमति नहीं दे सकती। बस यही एक बात थी। आपके लिए मैंने कहा था कि आप इनको वापस ले लें, तो आपको भी बोलने की अनुमति मिलती। वह मैं दे रही थी। मगर वह नहीं हुआ है। अब मामला समाप्त हो गया है।

अब बात यह है कि जैसा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि जब तक यह मामला वहाँ समाप्त न हो जाए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही वहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा, वहाँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में बाद में होम मिनिस्टर आकर बोलेंगे। उस समय आप एकाध प्रश्न पूछ लें। हालांकि वह पद्धति भी लोक सभा में नहीं है। मगर जैसा आप लोग तय करेंगे, उस समय मैं जरूर देखूँगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं? यह ज़ीरो आवर थोड़े ही चल रहा है? आप किस बारे में बात करना चाहते हैं?

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब मंत्री जी ने बताया कि होम मिनिस्टर आकर यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, गुरुदासपुर में जो इंसीडेंट हुआ है। हमने भी बताया कि हमें भी सभा की मर्यादा मालूम है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: लेकिन विरोध और भाषण एक साथ नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : हमें अफसोस है कि वहाँ पर जो हो रहा है, यदि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट देंगे, तो हम लोग सब उसका वेलकम करेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट बंद करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : अभी भी आप यह लेकर खड़े हैं। आपको वास्तव में बोलने का आधिकार नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: जब गृह मंत्री जी आएंगे, तब हम प्रोटेस्ट बंद करेंगे, ऐसा हमने कहा था मैडम। लेकिन उससे पहले, जब वे आएंगे, तो सभा की मर्यादा के हिसाब से हम करेंगे। लेकिन आज जो हो रहा है, हरेक चीज में आप खुद देख रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह डिस्कशन का इश्यू ही नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, नियम 377 के अधीन मामले।

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 2.13 बजे</u>

इस समय श्री बाल्का सुमन, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह मुद्दा नहीं है। आपको जो करना है, मैंने पहले ही कहा कि पोस्टर की अनुमति नहीं है।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आप रूल के अगेंस्ट कुछ भी करते रहें, यह नहीं होगा। मुझे खेद है।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आपका व्यवहार रूल्स के अगेंस्ट है। [अनुवाद] यह काम नहीं करेगा। मुझे खेद है।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आप पोस्टर भी दिखाते रहें और यह भी करें, [अनुवाद] इसकी अनुमति नहीं जी जाएगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

<u>अपराह्न 2.15 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नियम 377 के अधीन मामले। डॉ. उदित राज।

... (*व्यवधान*)

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदया, नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपको नियम 377 के अधीन मामला उठाते समय ही विषय को पढ़ना होगा।

... (*व्यवधान*)

(एक) आरक्षित श्रेणी के कतिपय उम्मीदवारों को अस्वीकृत किए जाने को ध्यान में रखते हुए एअर इंडिया में वरिष्ठ प्रशिक्षु पॉयलट की भर्ती की चयन प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): महोदया, एअर इंडिया में ए320 हेतु वरिष्ठ प्रशिक्षु पॉयलट (पी2) भर्ती में नियुक्ति हेतु 78 उम्मीदवार चयन किए गए थे- 11 अनुसूचित जाति और 6 अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का सामान्य मेरिट श्रेणी में चयन किया गया है और 14 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 87 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रिक्तियां अभी भी हैं। गृह मंत्रालय के आदेश कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/70-स्था.एस.सी.टी., 25 जुलाई 1970 के अनुसार, "यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष रूप से भर्ती के लिए परीक्षा में सामान्य स्थान के अनुसार उनके लिए आरक्षित संख्या से कम रिक्तियां भरी जाती हैं, तो चयन प्राधिकारियों को इस कमी को पूरा करने के लिए इन समुदायों से संबंधित उन उम्मीदवारों का चयन करने का विवेकाधिकार है, जिन्होंने परीक्षा में निचला स्थान प्राप्त किया हो, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी संतुष्ट हों कि उनके मामलों में प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक प्राप्त कर लिया गया है।"

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ब्रोशर आरक्षण एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. खंड 3.8 में कहा गया है, "जहाँ तक एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य मानक के आधार पर नहीं भरी जा सकती है, इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए मानक में छूट दी जाएगी, जो इन उम्मीदवारों की पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता पर निर्भर करेगा।"

साइकोमेट्रिक परीक्षण जिसके आधार पर अधिकतर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिए गए थे, एयर इंडिया द्वारा जारी विज्ञापन में शामिल नहीं था और इसे अपने मनपसन्द उम्मीदवारों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया में मनमाने ढंग से जोड़ दिया गया था। अस्वीकृत किए गए उम्मीदवार पिछड़े वर्गों से हैं और उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण लिया हुआ है। इसलिए उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। ... (*व्यवधान*)

(दो) उत्तराखंड में वरूणावत पर्वत को उच्च तकनीकी का प्रयोग करके बचाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) की ओर दिलाना चाहती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के उत्तरकाशी में 12 वर्ष के बाद वरूणावत पर्वत ने फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसने उत्तरकाशी शहर के लोगों की नींद उड़ा दी है। सितम्बर, 2003 भूस्खलन के बाद वरूणावत पर्वत का ट्रीटमेंट किया गया था, जिसके बाद कुछ वर्षों तक यह पर्वत शांत रहा है। अभी 15 जुलाई को तांबाखाणी सुरंग के ऊपर पर्वत के दरकने के कारण लोग भयभीत हैं। ज्ञानसू, इंदिरा कॉलोनी, भटवाडी मार्ग के आस-पास के लगभग दस हजार लोगों पर खौफ का साया मंडरा रहा है। वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार ने वरूणावत पर्वत के उपचार के लिए 282 करोड़ रुपये का पैकेज दिया था। जिस तकनीक से उपचार होना था, उसकी अनदेखी की गयी। पांच वर्ष तक इसका ट्रीटमेंट चला, सीमेंट व कंकरीट के सीढ़ीनुमा प्लेटफार्मों से पानी निकालने के लिए नालियां बनाई गईं, लेकिन नालियों को खुला छोड़ दिया गया। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इसी कारण से फिर वरूणावत पर्वत दरक रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वरूणावत पर्वत के उपचार हेतु उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाए, जिससे वरूणावत पर्वत का सही उपचार हो सके।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री सतीश चंद्र दुबे - उपस्थित नहीं।

श्री ओम बिरला

... (*व्यवधान*)

(तीन) राजस्थान में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक्स स्थापित करने हेतु तत्काल निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तीसरे फेस में 39 मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के विस्तार हेतु सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक बनाए जाकर उनका अपग्रेडेशन किया जाना निधाररित किया गया था। उक्त योजना के अन्तर्गत राजस्थान के तीन मेडिकल कालेज, 1. कोटा मेडिकल कालेज, 2. उदयपुर मेडिकल कालेज, 3. बीकानेर मेडिकल कालेज चुने गए थे। प्रत्येक में 150-150 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक्स का निर्माण किया जाना था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जमीन व अपने हिस्से के रूप में 20 प्रतिशत राशि वहन करनी थी। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर समस्त औपचारिक्ताएं पूर्ण करके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। उक्त कार्य नवम्बर 2014 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु अभी तक उक्त तीनों मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक के निर्माण हेतु आवश्यक राशि रिलीज नहीं हो पाई है, जिसके कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोटा, उदयपुर, बीकानेर मेडिकल कालेजों में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-3 के अंतर्गत प्रस्तावित सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक्स की स्थापना हेतु प्रत्येक मेडिकल कालेज को उपलब्ध कराई जाने वाली 1.5 करो की धनराशि को आविलम्ब जारी ब्लॉक्स का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया -उपस्थित नहीं।

श्री छेदी पासवान।

... (*व्यवधान*)

(चार) बिहार के सासाराम निर्वाचन क्षेत्र में गुप्तधाम आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए परिवहन, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) में आति प्राचीन धार्मिक आस्था का केन्द्र गुप्ताधाम अवस्थित है, जहां लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। गुप्ताधाम जाने के दो रास्ते - प्रथम, पनियारी से गुप्ताधाम जो पहाड़ पर चढ़ कर जाना पड़ता है एवं दूसरा, चेनारी डैम से पहाड़ के किनारे-किनारे जिसमें सात नदियों को पार कर धाम में लाखों श्रद्धालु जाते हैं।

दुःखद स्थिति यह है कि आज तक गुप्ताधाम आने-जाने के लिए सुगम सड़क निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई है। सड़क निर्माण के साथ-साथ श्रद्धालुओं के लिए पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधा की कमी के फलस्वरूप आति कठिनाई झेलनी पड़ती है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से श्रद्धालुओं के आवागमन हेतु चेनारी डैम से गुप्ताधाम (रोहतास) तक सड़क निर्माण तथा पेयजल एवं नागरिक सुविधाएं मुहैया शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु संबंधित मंत्रालय को निदेरशित करने की कृपा की जाए।... (*व्यवधान*)

(पांच) बिहार के बेगूसराय में एम्स की तर्ज पर संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदया, बिहार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति क्षेत्रों में लगातार पिछड़ता रहा है। आज भी लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हजारों महिलाओं की प्रसूति में मौत हो रही है। कैंसर, हृदय रोग एवं नस संबंधी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस अवस्था में बिहार में विश्वस्त एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के अस्पताल में ही इन व्याधियों का इलाज किया जा सकता है। नतीजा लाखों की संख्या में बिहार के लोग नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के लिए आते रहते हैं और उनका इलाज संतोषप्रद ढंग से नहीं हो पा रहा है। पटना में जो एम्स है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में वह अभी भी पूर्ण आकार नहीं ले सका है। उत्तर बिहार तो इस मामले में भयानक स्थिति से गुजर रहा है। गंगा, कोशी, अधमारा समूह की नदियों के हिस्सों में पनपने वाली विभिन्न रोगों की फसलें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। करोड़ों लोग इलाज के अभाव में बेपनाह हैं। बेगूसराय जिले में चिकित्सकों का एक लंबा समू है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया से हजारों रोगी इलाज के लिए बेगूसराय के निजी नर्सिंग होमों में आते हैं। उत्तर बिहार में बेगूसराय की भौगोलिक स्थिति मध्य में है। केन्द्र सरकार ने 2015-2016 के अपने बजट में बिहार में एक और एम्स खोलने का प्रस्ताव दिया है। यह एम्स उत्तर बिहार में बेगूसराय में खुले। यहां जमीन भी उपलब्ध है। आवागमन के कई राष्ट्रीय मार्गों से यह जुड़ा हुआ है। इसलिए एम्स के लिए यह समीचीन भी है और तमाम तरह की भौतिक संरचनाएं यहां उपस्थित हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय प्रधान मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि बेगूसराय में नए एम्स खोलने के लिए अपने स्तर से पहले करें।... (व्यवधान)

(छ:) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन का ध्यान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों/आधिकारियों का वरिष्ठत क्रम में पदोन्नति आरक्षण देने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग, होमगार्ड्स विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी/आधिकारी रिवर्ट किए गए हैं जिससे उत्त लोग पीड़ादायक ग्लानि को सहन नहीं कर पा रहे हैं और आत्महत्या की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों/आधिकारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है क्योंकि इन वर्गों के कर्मचारियों/आधिकारियों का उत्तर प्रदेश सरकार से विश्वास उठ गया है और वे सभी केन्द्र सरकार की ओर बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारयों/आधिकारियों को वरिष्ठता क्रम में प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत करके पारित कराने की कृपा करें। ... (व्यवधान)

(सात) उत्तर प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों और औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र वरन आधा उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पूर्वांचल तक आवश्यक चिकित्सा के अभाव की समस्या से ग्रस्त है। मामूली रोगों से पीड़ित लोग लखनऊ और दिल्ली 250 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक इलाज के लिए घर, खेत, पशु बेचकर आने के लिए विवश हैं। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इण्डिया में एक सर्वेक्षण का परिणाम प्रकाशित हुआ था कि देश में प्रति वर्ष 5 करोड़ परिवार अपने इलाज के लिए उधार लेते हैं और इस कारण से प्रभावित परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। सर्वेक्षण का यह परिणाम प्रत्यक्ष मैं तो अपने चारों ओर प्रायः पाता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) का 5 प्रतिशत व्यय आवश्यक है। देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वीकारा गया है कि 2.5 प्रतिशत व्यय किया जाए परन्तु अभी तक मात्र 1.4 प्रतिशत व्यय करने की व्यवस्था देश में है। चीन, ब्राजील, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान सभी भारत से कहीं आगे स्वास्थ्य पर व्यय करते हैं। अमेरिकन सरकार कुल चिकित्सा व्यय पर 47 प्रतिशत, चीन 56 प्रतिशत, जर्मनी 76 प्रतिशत, ब्रिटेन 84 प्रतिशत और भारत केवल 30 प्रतिशत व्यय करता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह धरातल की सच्चाई को समझे और समस्या का समाधान करे। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सक व निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवायी जाए।... (व्यवधान)

(आठ) झारखंड के पलामू जिले में निर्धन मजदूरों के कल्याण हेतु मैसर्स सोन वैली सीमेंट लिमिटेड को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : महोदया, झारखण्ड राज्य के जिला पलामू के अन्तर्गत मैसर्स सोन वैली सीमेन्ट्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। देश में यह एक प्राचीनतम वेट प्रोसेस सीमेन्ट प्लान्ट है। वर्ष 1992 से यह सीमेन्ट प्लान्ट बन्द पड़ा हुआ है। परिणामस्वरूप हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं तथा काम के अभाव में पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहां तक कि नक्सलियों के दस्ते में सम्मिलित होने के लिए विवश हो रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस फैक्ट्री को शीघ्रातिशीघ्र खुलवाने की कृपा करें ताकि गरीब मजदूरों का जो बकाया है, उसका भुगतान हो सके और मजदूर पलायन के लिए मजबूर न हों एवं नक्सलियों के दस्ते में सम्मिलित होने के लिए विवश न हों। फैक्ट्री खुलवाकर सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करे।

... (व्यवधान)

(नौ) बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन में प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाए जाने और नारायणपुर अनन्त स्टेशन को रेलवे टर्मिनल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अजय निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारा संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर (बिहार) की व्यावसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। लीची के लिए सुप्रसिद्ध मुजफ्फरपुर विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए न केवल बिहार आपितु पूरे देश का आकर्षण का केन्द्र है। यहां से कई सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियां देश के विभिन्न शहरों के लिए खुलती हैं, बावजूद इसके मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर प्लेटफार्म की संख्या अपर्याप्त है, जिस कारण गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान में काफी परेशानियों का सामना रेल प्रशासन को उठाना पड़ता है, साथ ही इसका खामियाजा यात्रियों को भी भुगतना पड़ता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्लेटफार्म की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इसका आधुनिकीकरण किया जाए, साथ ही गाड़ियों एवं यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मुजफ्फरपुर जंक्शन के पास ही हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेल खंड पर स्थित रामदयालू नगर रेलवे स्टेशन एवं मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेल खंड पर स्थित नारायणपुर अनन्त स्टेशन को रेलवे टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाए। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: किसी भी पोस्टर की अनुमति नहीं है।

(दस) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ उन किसानों को भी जिनकी जोत सीमान्त किसानों से अधिक है, को भी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आज्ञा से इस पवित्र सदन में आपके मार्फत माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी एवं माननीय ग्रामीण एवं पंचायत राज विकास मंत्री जी का आभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा में 5 हजार करोड़ का बजट आधिक देकर ग्रामों में ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने यह भी निर्देश दिये हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना (मनरेगा) का 60 प्रतिशत बजट कृषि के विकास हेतु अपनाई गई योजनाओं एवं उनसे संबंधित दीर्घकालीन कार्यों पर खर्च किये जायेंगे।

कृषि कार्यों में कूप निर्माण, तलाई निर्माण, खेती की मेढ़बंदी, चारागृह निर्माण, छोटे शीत भंडारों का योजना के तहत केवल छोटे एवं सीमांत कृषकों को ही लाभ मिलता है। यह बात सही है कि भारत में आधिकतर सीमांत कृषक एवं छोटे कृषक हैं। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात एवं कई अन्य क्षेत्रों में औसतन जोत सीमा बड़ी हैं। अतः इस योजना का उन कृषकों को भी लाभ दिया जाना चाहिए जिनकी जोत सीमा सीमांत काश्तकार की सीमा से थोड़ी ज्यादा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय प्रधान मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि वे मनरेगा में ऐसा प्रावधान करें कि सीमान्त काश्तकार की जिस-जिस क्षेत्र में जितनी सीमा हो, उससे दोगुनी सीमा तक के काश्तकारों को भी लाभ मिल सके। जैसे मेरे क्षेत्र में दो हेक्टेअर सीमांत काश्तकार की सीमा है, इसे चार हेक्टेयर कर दिया जाता है तो मध्यम श्रेणी के काश्तकारों को भी मनरेगा का लाभ मिलेगा एवं उससे देश में कृषि पैदावार भी बढ़ेगी। मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को लाभ देने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है तो राष्ट्र एवं किसान के हित में होगा। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

(ग्यारह) अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु 'मेक इन इंडिया' मिशन के तहत लघु और सूक्ष्म उद्योगों का विकास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 'मेक इन इंडिया' मिशन के तहत अभी तक वृहत एवं विदेशी निवेश आधारित उद्योगों पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है, जबकि देश की परिस्थितियों के आधार पर स्पष्ट है कि लघु उद्योगों, एग्रो बेस्ड उद्योगों पर ध्यान देने से इस मिशन की सफलता त्वरित की जा सकती है। कैसी विडम्बना है कि खाद्य तेल पर आयात की निर्भरता बढ़ रही है, वहीं देश में तेल व दाल मिलें बंद हो रही हैं। अतः इस संबंध में अध्ययन कर उचित नीति के प्रतिपादन की आवश्यकता है। जापान, चीन आदि का विकास लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों द्वारा ही संभव हुआ। मेक इन इंडिया मिशन को लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक जगत में लोकप्रिय करने हेतु लघु भारती का सहयोग लिया जा सकता है, जिनका कार्य क्षेत्र सभी राज्यों में कुल मिलाकर 400 जिलों में व्याप्त है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि 'मेक इन इंडिया' मिशन को सफल बनाने के लिए भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को उनकी नीति बनाकर अगर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री के मिशन 'मेक इन इंडिया' की सफलता को कम समय में पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

(बारह) देश में बाल श्रम को समाप्त करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज बाल श्रम ने दुनिया के जिन तमाम देशों में एक गम्भीर समस्या का रूप धारण कर लिया है, उनमें भारत भी है। बाल श्रम निषेध होने और उच्चतम न्यायालय के तमाम निर्देशों के बावजूद बच्चों को मजदूरी से रोकने में अभी भी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पायी है। रह-रह कर बंधुआ बाल मजदूरी के मामले सामने आते रहते हैं। गरीब परिवारों के माँ-बाप अपनी कठिन आर्थिक परिस्थियों से पार पाने के लिए अपने बच्चों को विभिन्न तरह के कामों पर लगाना उचित समझते हैं। समाज के एक तबके में यह धारणा भी व्याप्त है कि बच्चों को प्रारम्भ से ही किसी न किसी हुनर से लैस हो जाना चाहिए। इस सबके चलते तमाम बच्चे बाल मजूदर बने जाते हैं और फिर वे मजदूरी के चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। वे शिक्षा के साथ स्वयं के स्वाभाविक विकास से भी वंचित होते हैं तथा जोखिम भरे काम करने के साथ ही शोषण का शिकार होते हैं। बच्चों के आधिकारों के संरक्षण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को भारत सरकार भी पालन करने के लिए वचनबद्ध है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश में बाल श्रम की एक बड़ी वजह निर्धनता के उन्मूलन तथा जागरूकता हेतु तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं। … (*व्यवधान*)

(तेरह) खेजड़ी पादप, जो शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, को संरक्षित पादप प्रजाति की सूची में शामिल करने और इसके संरक्षण हेतु पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार औसत वनक्षेत्र नहीं है। वनक्षेत्र या पेड़ों की संख्या कम होने से जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक संतुलन नहीं बन पाता है। बढ़ती जनसंख्या और पेड़ों की होती कम संख्या पर्यावरण संरक्षण में नकरात्मक भूमिका अदा करती है। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। पूरे राजस्थान में वनों का क्षेत्र भारत के अन्य राज्यों से बहुत कम है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह थार रेगिस्थान का हृदय स्थल है। रेगिस्थानी क्षेत्र में खेजड़ी का वृक्ष पारिस्थितिक संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के कारण स्थानीय भाषा में खेजड़ी को तुलसी भी कहते हैं और परिवार की एवं स्थानीय महिलाएं खेजड़ी की तुलसी की भाँति पूजा-अर्चना भी करती हैं। मध्यकाल में जब खेजड़ी के वृक्ष की कटाई का हुक्म तत्कालीन शासनकर्ताओं ने दिया तो स्व. अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में महिलाओं ने खेजड़ी से चिपक कर अपनी जान दे दी, लकिन खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा की। खेजड़ी के वृक्ष से जो सांगरी का उत्पादन होता है, उसकी सब्जी भी बनती है और वह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। सांगरी से पहले खेजड़ी पर मिंजर लगती है जो आयुवेरदिक औषधि के रूप में काम आती है और इससे कई त्वचा एवं अन्य रोगों का उपचार होता है।

अतः इतने उपयोगी पेड़ की रक्षा के लिए सदन के माध्यम से मेरा माननीय वन पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि खेजड़ी के वृक्ष को संरक्षित पेड़ों की श्रेणी में लेकर कोई विशेष दर्जा देने की व्यवस्था की जाती है तो खेजड़ी का वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में बहुतायत से पनप सकता है और रेगिस्थान भी हरा हो सकता है तथा वहां के क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बना रह सकता है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : यह जो आप कर रहे हैं, यह दूसरे सदस्यों के आधिकारों का हनन कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। यह जो कर रहे हैं, वह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह दूसरे सदस्यों के आधिकारों का हनन है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जो कर रहे हैं, वह रूल्स के खिलाफ आपका बिहेवियर है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसके साथ-साथ आप सदस्यों के आधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.सी. मोहन - उपस्थित नहीं।

श्री डी.के.सुरेश - उपस्थित नहीं।

श्री एम.के.राघवन - उपस्थित नहीं।

श्री टी.राधाकृष्णन - उपस्थित नहीं।

... (*व्यवधान*)

(चौदह) तमिलनाडु के सलेम शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. पन्नीरसेल्वम (सलेम): मैं तमिलनाडु स्थित अपने सलेम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यातायात की समस्या उजागर करना चाहता हूँ।... (*व्यवधान*)

राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-7 सलेम शहर से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें (एन. एच. 47 और 68) सलेम शहर से शुरू होती हैं। ... (*व्यवधान*) उपरोक्त एन.एच. सड़कों और एस.एच. सड़कों से गुजरने वाले वाहन सलेम शहर में यातायात जाम करते हैं। ... (*व्यवधान*)

संबंधित यातायात समस्या से निपटने के लिए सलेम शहर के चारों ओर राष्ट्रीय राजमार्गों को 60 कि.मी. लम्बी सड़क से जोड़ने के लिए एन.एच.ए.आई. द्वारा एन.एच.डी.पी. चरण-7 के तहत एक आउटर, रिंग रोड प्रस्तावित है। ... (*व्यवधान*) यह योजना वर्ष 2008 से लंबित है। आउटर रिंग रोड के बनने से निस्संदेह 50% यातायात प्रवाह कम हो जायेगा। ... (*व्यवधान*)

मेरा माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध है कि आउटर रिंग रोड के निर्माण हेतु उपर्युक्त कार्यवाही करें।... (*व्यवधान*)

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): मुझे नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जा सकती है। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

(पंद्रह) मलमल उद्योग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता[12*]

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): इतिहास में मलमल से प्रसिद्ध कोई नाम नहीं है। पुरातत्वविदों का मानना है कि भारत में खुदाई स्थलों से प्राप्त सर्वोत्तम गुणवत्ता की मलमल का उत्पादन लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किया गया था। लेकिन इस बारीक बुने हुए कपड़े की पहली प्रलेखित उत्पत्ति ढाका से हुई है। मूल बंगाल मलमल को टेक्स्टालिस-वेंटालिस को "वोवन एयर" और "ईवनिंग ड्यू" और "मॉर्निंग मिस्ट" जैसे अन्य सुंदर नामों से दूर-दराज रोम तक निर्यात किया जाता था। ऐतिहासिक रूप से, मलमल को 100% कपास के रूप में मान्यता दी गई है। मलमल का उत्पादन कपास के पौधे से किया जाता था जो विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के एक निश्चित भाग के किनारे पर उगता था।

तथापि, प्लासी के युद्ध के बाद मलमल उद्योग में गिरावट शुरू हो गई।

मलमल को पुनरुद्धार करने का प्रयास वास्तव में 1992 में पश्चिम बंगाल के पड़ोसी नादिया जिले के नवद्वीप में शुरू हुआ था। वहां बुनकरों के एक समूह ने 500 काउंट मलमल उत्पादन करने में कामयाबी हासिल की, अर्थात एक हजार मीटर सूत को इतना बारीक काता गया कि उसका वजन केवल दो ग्राम था। हालाँकि, बाद में इसका उत्पादन लागत प्रभावी नहीं रहा। अब पश्चिम बंगाल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने ऐतिहासिक

[12*] सभा पटल पर रखा गया

दृष्टिकोण के माध्यम से बंगाल मलमल का पुनरुद्धार करने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना शुरू की है।

मैं माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया मलमल परियोजना को शुरू करें जिसमें पुनरुद्धार और विकास के विभिन्न संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके जिसमें कौशल विकास, प्रौद्योगिकी समर्थन, डिजाइन इनपुट, उत्पाद विविधीकरण, क्रेडिट लिंकेज, विपणन सहायता आदि हस्तक्षेप शामिल हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुल्तान अहमद - उपस्थित नहीं।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना।

(सोलह) देश के सभी जिलों में हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए 'वन स्टॉप ट्रॉमा केयर सेंटर' स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): यह चिंता का विषय है कि देश में 660 “वन स्थॉप ट्रॉमा केयर सेंटर्स जो देश में स्थापित होने थे के स्थान पर मात्र 36 - प्रत्येक राज्य में एक स्थापित किए जायेंगे। प्रत्येक राज्य में मात्र एक केन्द्र से कोई लाभ नहीं होगा। ... (*व्यवधान*) वन-स्टॉप सेंटर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही सेंटर में चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाएं प्रदान करता है, और इसलिए, प्रत्येक राज्य में केवल एक केंद्र होने का कोई लाभ नहीं है। ... (*व्यवधान*) गृह मंत्रालय, जो निर्भया कोष का प्रबंधन करता है, इसके आरंभ से कुल आबंटन का अब तक मात्र 1 प्रतिशत व्यय कर पाया है। ... (*व्यवधान*) सरकार ने संकट की स्थिति में महिलाओं की कॉल पर पुलिस की प्रतिक्रिया की दक्षता में सुधार लाने और त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कॉल ट्रैकिंग और जी.पी.एस. आधारित पुलिस वाहन प्रेषण कार्य का समर्थन करने के लिए

एक मंच की स्थापना की योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत मेरा निर्वाचन क्षेत्र और जिला बालासोर, टाइप बी शहर के रूप में लाभार्थी होता, लेकिन उसमें भी देरी हो गई है। … (*व्यवधान*) बालासोर में वर्ष 2012-13 में महिलाओं की शील भंग करने के करने के इरादे से उन पर हमले के 87 मामले और महिलाओं की शील का अपमान करने के 20 मामले देखे गए थे। … (*व्यवधान*) अब ऐसी खबरें हैं कि निर्भया फंड का प्रबंधन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। … (*व्यवधान*) मेरा सरकार से अनुरोध है कि महिला सुरक्षा से संबंधित सभी लंबित अवसंरचनात्मक कार्यों को तेजी से पूरा कर सुनिश्चित किया जाए कि शीतघ्र से शीघ्र प्रत्येक जिले में ट्रॉमा केन्द्र स्थापित किए जाएं।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव - उपस्थित नहीं।

श्री जयदेव गल्ला- उपस्थित नहीं।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं धरने पर हूं। हालांकि, यह मामला नागरिकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप यह मुद्दा नहीं उठा रहे हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखना चाहता हूँ। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह ठीक है।

(सत्रह) रेलगाड़ियों में वरिष्ठ नागरिकों हेतु पृथक कोच/सीट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता[13*]

[13*] सभा पटल पर रखा गया

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रेलवे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निस्संदेह, रेलवे ने लोगों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं और आज भी निरंतर कर रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों/महिलाओं/विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटों/बर्थों का आरक्षण, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को भूल गए हैं, जिन्हें वृद्ध/कमजोर/चिकित्सकीय रूप से अयोग्य/निर्धन होने के कारण यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सीट/बर्थ पाने के लिए युवाओं और अन्य सह-यात्रियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है और कई बार उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि कोई भी उनके साथ सीट साझा या उनकी मदद नहीं करना चाहता।

उनके समक्ष आ रही उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कृपया उनके लिए अलग कोच/सीटों का प्रावधान किया जाये ताकि उनकी वास्तविक समस्याओं का ध्यान रखा जा सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी. करुणाकरन -उपस्थित नहीं।

श्रीमती कोथापल्ली गीता।

(अठारह) आंध्र प्रदेश में तेजी से आर्थिक विकास हेतु विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकू): मैं माननीय प्रधान मंत्री, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री का ध्यान आंध्र प्रदेश की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। जैसा कि सम्माननीय सभा अवगत है और मेरे से सहमत है कि आंध्र प्रदेश विभाजन के पश्चात् आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। हालाँकि चुनावों के दौरान, पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से और संसद के दोनों सदनों में भी कई वादे किए गए थे, दुर्भाग्य से, राज्य को अभी तक कोई रियायत नहीं मिली है। राज्य के ऊपर 1.46 लाख करोड़ रुपए का भारी ऋण है और आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र व्यापक सहायता भी नहीं दी जा रही है। राज्य को जो विशेष दर्जा देने का वादा किया गया था वह अभी भी असमंजस की स्थिति में है और इससे लोगों में असंतोष फैल रहा है। न ही कोई कर में छूट या टैक्स हॉलीडे दिया जा रहा है। साथ ही, मैं वित्तीय सहायता के रूप में बजटीय राहत प्रदान करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं लेकिन विशेष दर्जा प्रदान करने का आश्वासन अभी भी अधूरा है।

अतः, आंध्र प्रदेश में व्याप्त गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूँ कि इस संबंध में अनुकूल निर्णय लें और आंध्र प्रदेश हेतु विशेष दर्जे की घोषणा करें। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप जिस तरीके से दूसरों के आधिकारों का हनन कर रहे हैं, यह बच्चों जैसी हरकतें हैं। ऊपर से बच्चे आपको देख रहे हैं।

... (<u>व्यवधान</u>)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सुले।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): महोदया, मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हाँ।

(उन्नीस) भारत में कुपोषण की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता[14*]

श्रीमती सुप्रिया सुले: महोदया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 1.3 लाख बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं, पाँच वर्ष से कम उम्र के 48 प्रतिशत बच्चे अविकसित हैं या अपनी उम्र के अनुपात में बहुत छोटे हैं, जो यह दर्शाता है कि देश के आधे बच्चे लंबे समय से कुपोषित हैं। गरीबी, बच्चियों और महिलाओं की दयनीय स्थिति, खाद्य असुरक्षा, विशेष रूप से आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की कमी, खराब स्वास्थ्य सेवाएं और अत्यंत खराब स्वच्छता स्थितियों का विनाशकारी संयोजन स्वस्थ बाल विकास को बनाए नहीं रख सकता है। भारत में कुपोषण के प्रति मौजूदा प्रतिक्रिया खाद्य-आधारित समाधानों की ओर झुकी हुई है और कुपोषण के अन्य निर्धारकों को निपटने वाली योजनाओं पर बहुत कम जोर दिया गया है। कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए किसी भी समाधान में बच्चों में बीमारी की रोकथाम की क्षमता होनी चाहिए, जिसके लिए सुरक्षित जल आपूर्ति और स्वच्छता सुनिश्चित करना आवश्यक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में व्यापक रूप से उपेक्षित क्षेत्र हैं। भारतीय दीर्घकालिक सूक्ष्म पोषक कुपोषण से भी पीड़ित हैं, ऐसा लगातार ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने के परिणामस्वरूप होता है जिनमें विटामिन और खनिजों की मात्रा कम होती है - विशेष रूप से विटामिन ए, आयरन, आयोडीन और जिंक- जो उचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं। पूरक कार्यक्रम, फसल का बायोफोर्टिफिकेशन, वाणिज्यिक फोर्टिफिकेशन और स्कूल-आधारित कृमि मुक्ति अभियान इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जैसे-जैसे दुनिया भर में सरकारें अपनी कमर कस रही हैं और इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों की खोज कर रही हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कुपोषण से निपटने के उपायों से मिलने वाले लाभ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

माननीय अध्यक्ष: श्री रामा किशोर सिंह - उपस्थित नहीं।

[14*] सभा पटल पर रखा गया

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया।

(बीस) राजस्थान के टोंक में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल 'अमली बाघ सफारी हेतु धनराशि शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला टोंक में "अमली बाघ सफारी " नामक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। इसमें हर वर्ष हज़ारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और यह राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है।

राजस्थान सरकार के द्वारा 115 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है परन्तु केन्द्र सरकार ने इस विषय में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए। इस विषय में दिनांक 21.7.2015 को अतारांकित प्रश्न संख्या 128 में भी केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया है कि राजस्थान सरकार द्वारा 115 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में ठोस कदम उठाते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही करें और 115 करोड़ रुपये की राशि तुरन्त जारी करने का आदेश करें।

अपराह्न 2.48 बजे

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन)

विधेयक, 2015

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा में विधायी कार्य पर चर्चा होगी। विचार और पारित करने के लिए विधेयकों के अंतर्गत मद सं19 - श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जो भी आप कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। मैंने कहा है कि सदस्यगण अपने अपने पोस्टर्स लेकर वापस जाएँ, अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएँ। यह तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966, राज्य सभा द्वारा यथापारित, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966, राज्य सभा द्वारा यथापारित, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदया, मैं सीट सं. 249 से बोल रही हूँ। मुझे आशा है, आप मुझे यहां से बोलने की अनुमति देंगीं। … (*व्यवधान*)

हम विचाराधीन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। … (*व्यवधान*)

इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 5 एवं पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करना है। इसका उद्देश्य दिल्ली उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 11 जिला न्यायालयों के मूल वित्तीय क्षेत्राधिकार को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करना भी है। … (*व्यवधान*)

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन में उल्लेख किया गया है कि उक्त क्षेत्राधिकार में वृद्धि किए जाने से दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यभार तथा लम्बित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी और इससे अभियोजनग्रस्त जनता को कम लागत तथा अधिकतम सुविधा के साथ न्याय प्राप्त हो सकेगा। ... (*व्यवधान*)

यह विधेयक दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसी भी लम्बित मामले को संगत अधीनस्थ न्यायालय को हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान करता है।

यह देखा गया कि इस तरह के संशोधन के बाद, लगभग 12,211 मामले, जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं, 11 जिला अदालतों में भेजे जाएंगे। इससे इन मामलों के तीव्र निपयन में सुविधा होगी।… (*व्यवधान*)

अन्य न्यायालयों के वित्तीय क्षेत्राधिकार में परिवर्तन पहले के वर्षों में हुआ है। मुंबई उच्च न्यायलय के वित्तीय क्षेत्राधिकार को आखिरी बार वर्ष 2012 में बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट अधिनियम, 1948 में संशोधन करके 1 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया था। हालाँकि, उक्त अधिनियम की धारा 3 मुंबई उच्च न्यायालय को बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट पत्र, पारसी विवाह और तलाक आदि से जुड़े मामलों पर अधिकार क्षेत्र बनाए

रखने की अनुमति देती है। भले ही उस पर मुकदमे का मूल्यांकन 1 करोड़ रुपये से कम हो, मुंबई उच्च न्यायालय इस पर विचार कर सकता है।... (*व्यवधान*)

कलकत्ता उच्च न्यायालय के वित्तीय क्षेत्राधिकार को आखिरी बार वर्ष 2013 में कोलकाता सिटी सिविल कोर्ट अधिनियम, 1953 में संशोधन करके 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया था। हालाँकि, अधिनियम की धारा 5 उन मुकदमों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय और कलकत्ता सिविल न्यायालय दोनों को समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान करती है, जिनका मूल्यांकन 10 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

संघीय संसद एवं राज्य विधानमंडलों को अनुच्छेद 225, सूची 1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 78 और सूची III की प्रविष्टि 11ए, 13, 46 जो कि संविधान की समवर्ती सूची है, के संयुक्त वाचन द्वारा उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालयों के वित्तीय क्षैत्राधिकार में परिवर्तन करने की समवर्ती शक्ति एवं क्षमता प्राप्त है। (*व्यवधान*)

संविधान के भाग आठ के अंतर्गत अनुच्छेद 239 कक(3)(क), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सूची की सूची दो की प्रविष्टि 65 के अंतर्गत किसी कानून में इस प्रकार का संशोधन करने की वित्तीय शक्तियों को कम करता है। जहां तक यह प्रविष्टि 1 से संबंधित है, जो एक सार्वजनिक आदेश है, पुलिस की प्रविष्टि 2 और भूमि की प्रविष्टि 18, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि राज्य सूची की प्रविष्टि 65 उक्त सूची में किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र और शक्ति के बारे में बात करती है। ... (*व्यवधान*)

वर्ष 2003 में गीतिका पंवर और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायलय की पूर्ण पीठ ने माना था कि दिल्ली की एन.सी.टी. विधानसभा द्वारा पारित दिल्ली हाई कोर्ट (संशोधन) अधिनियम, 2001 दिल्ली के उच्च न्यायलय और दिल्ली के जिला न्यायालयों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर देता है, क्योंकि एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली को दिल्ली उच्च न्यायलय अधिनियम, 1966 को संशोधित करने का कानूनी प्राधिकरण नहीं है।

इसने माना था कि अकेले संसद के पास दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बदलने की शक्ति है।… (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया, इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से उन मामलों की संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति में आए बदलाव का वर्णन करना चाहूंगी जो कि न्यायालयों के समक्ष लम्बित हैं। यदि हम मुंबई उच्च न्यायालय की तुलना करें तो वर्ष 2003 में लगभग 42,293 मामले थे, वर्ष 2008 में लंबित मामलों की संख्या 41,765 थी। वर्ष 2013 में मामलों की संख्या घटकर 6081 रह गई। कलकत्ता में जहां वर्ष 2003 में विचाराधीन 10,623 थी, वहीं वर्ष 2008 में संशोधन के बाद यह घटकर 7,879 हो गई और वर्ष 2003 में यह घटकर 6,932 हो गई है।… (*व्यवधान*) दिल्ली में 2003 में विचाराधीन दीवानी मुकदमों की संख्या 7,853 थी, 2008 में दीवानी मुकदमों की लंबित संख्या बढ़कर 2,815 हो गई है। वर्ष 2013 में, संख्या बढ़कर 12963 हो गई है जो 13,000 मामलों के करीब है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2003 में विचाराधीन मामलों की संख्या 195 थी जो वर्ष 2008 में बढ़कर 365 और वर्ष 2013 में बढ़कर 354 हो गई। ... (*व्यवधान*) मद्रास में वर्ष 2003 में विचाराधीन मामलों की संख्या 4300 थी, वर्ष 2008 में यह संख्या 6249 हो गई और वर्ष 2013 में यह फिर से बढ़कर 6326 हो गई... (*व्यवधान*)

इस संबंध में यदि 2 करोड़ रुपए तक की सीमा का मूल क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालयों को हस्तांतरित होता है तो इससे मामलों के तीव्र निपयन में वृद्धि होगी … (*व्यवधान*)

तथापि व्यवसायिक मामलों के संबंध में मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि दिल्ली उच्च न्यायालय के व्यवसायिक डिवीजन एवं व्यवसायिक अपीलीय डिवीजन विधेयक, 2015 को साथ-साथ लाया जाता तो मामलों को दोबारा हस्तांतरित नहीं करना पड़ता।

धन्यवाद।

श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी (थूथुकुडी): महोदया, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं इस अवसर के लिए अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं... (*व्यवधान*)

इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यभार को कम करना है, जिसे बड़ी संख्या में सम्पत्ति के दीवानी मामलों को संभालने के लिए है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ी आर्थिक गतिविधियों का असर संपत्ति के मूल्य पर पड़ रहा है... (*व्यवधान*) यह दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर दीवानी मामलों में परिलक्षित होता है। इसलिए, इस विधेयक के माध्यम से यह तय किया गया है कि कम मूल्य के दीवानी मामलों का निपटारा जिला अदालतों के स्तर पर किया जाएगा। इस विधेयक से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे निर्धन लोगों को भी लाभ पहुंचेगा।... (*व्यवधान*) कम मूल्य वाले सिविल केस दायर करते समय उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है... (*व्यवधान*) यह विधेयक उन दीवानी मामलों के क्षेत्राधिकार को जिला न्यायालयों को हस्तांतरित करता है जिसमें 20 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति होती हैं जिससे निर्धन लोगों को दीवानी मुकदमों में लगने वाले अधिक समय एवं धन की बचत होगी।... (*व्यवधान*)

महोदया, आमतौर पर 20 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य के सिविल मुकदमे दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 14.58 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 4.01 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न चार बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरे बार-बार निवेदन करने के बाद भी सदस्यगण द्वारा प्लेकार्ड दिखाना बन्द नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं अन्य सदस्यों के सामने प्लेकार्ड लगाकर उनके आधिकारों का हनन भी हो रहा है। साथ ही स्पीकर के सामने प्लेकार्ड लाने की हरकत तो बिल्कुल अनुचित है। मेरे बार-बार चेतावनी देने के बाद भी माननीय सदस्यगण भी नहीं मान रहे हैं तथा श्री अधीर रंजन चौधरी का व्यवहार बहुत ही अनुचित और अनुशासनहीन है ...(व्यवधान) और चेयर के प्रति अवमानना दर्शाने वाला है। इसलिए, श्री अधीर रंजन चौधरी, उन्हें बार-बार चेतावनी दी इसके बावजूद उन्होंने सभा के स्थगन से ठीक पहले तीन बजे सभा के कार्य में जानबूझकर बाधा डालने और नियमों का दुरुपयोग करके अध्यक्षपीठ के प्राधिकार का अनादर किया इसलिए मैं उनका नाम लेती हूं।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 4.02 बजे

सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित करने के संबंध में प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष महोदया , मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि श्री अधीर रंजन चौधरी, सभा सदस्य को, जिनका माननीय अध्यक्ष ने नाम लिया है, आज से सत्र के अवशिष्ट काल तक के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाए।... (*व्यवधान*)

अपराह्न 4.03 बजे

इस समय, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है। फिर वही हो रहा है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री खड़गे, क्या यही तरीका है? फिर वही हो रहा है।

...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप फिर से सभा सदन के बीचोंबीच क्यों आ रहे हैं? मैंने अभी तक प्रस्ताव पर मतदान नहीं कराया है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। ऐसा नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है ।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। यह कोई तरीका नहीं है ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं कि सभा में जो कुछ हुआ वह किसी एक सदस्य द्वारा नहीं किया गया। बड़ी संख्या में विपक्ष के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर नाराज हैं। वे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने उनसे ऐसा न करने के लिए कहा है। एक पार्टी के रूप में हमने इसमें भाग नहीं लिया लेकिन इसकी सजा किसी सदस्य को देना उचित नहीं है। महोदया, राजनीतिक समस्याओं का समाधान आदेशों से नहीं हो सकता... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया आप अपनी सीटों पर जाइए। इस तरह नहीं। मुझे खेद है।

... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: राजनीतिक समस्याओं को सजा देकर हल नहीं किया जा सकता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को मतदान के लिए न रखें।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं किसी की बात नहीं सुन पा रही।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है। प्रो. सौगत राय, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही क्योंकि ये सदस्य शोर कर रहे हैं। यह व्यवहार करने का तरीका नहीं है। वे बार-बार सभा सदन के बीचोंबीच आ रहे हैं। क्या यह अध्यक्ष से बात करने का कोई तरीका है? वे फिर से अनादर कर रहे हैं। क्या यह बात करने का तरीका है? वे फिर से अध्यक्षपीठ के प्रति अनादर दिखा रहे हैं। वही हो रहा है, श्री तथागत सत्पथी। मुझे खेद है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या मुझे अब भी चुप रहना चाहिए? क्या आपको ऐसा ही लगता है? क्या यह बोलने का तरीका ठीक है?

... (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): कोई भी अध्यक्षपीठ की अवज्ञा नहीं कर सकता और कोई भी अध्यक्षपीठ को धमकी नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में, मैं कांग्रेस सदस्यों से अपील करता हूं कि वे नियम को स्वीकार करें और अपने स्थानों पर वापस लौट जाएं और सदन की कार्यवाही में सहयोग करें। यह नियम की स्थिति है। … (*व्यवधान*)

आप पहले तेलंगाना के नौ सदस्यों को निलंबित कर चुकी हैं। आप पहले ही आंध्र प्रदेश के दस सदस्यों को निलंबित कर चुकी हैं। हमें सबक मत सिखाएं। उन्हे पीछे हटना होगा। प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित है, महोदया। उन्हें अध्यक्षपीठ का सम्मान करना चाहिए। यह अध्यक्षपीठ का अनादर करने और अध्यक्षपीठ की अवज्ञा करने का तरीका ठीक नहीं है। उन्हें अपने स्थानों पर वापस जाने दें। श्री खड़गे जी, अपने सदस्यों से उनके स्थानों पर वापस जाने और अध्यक्षपीठ का सम्मान करने के लिए कहें। माननीय अध्यक्ष पहले ही व्यवस्था दे चुकी हैं। उन्होंने उन्हे नामित किया है। सभा का निर्णय अंतिम है। आप आदेश नहीं दे सकते। यह कोई पद्धति नहीं है।...(व्यवधान) हमें पूरा देश देख रहा है।...(व्यवधान) राष्ट्रीय संवेदनशील मुद्दों पर भी आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप सरकार की बात नहीं सुनना चाहते; आप अध्यक्ष को सुनना नहीं चाहते। आप नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कैसे चल सकता है? क्या हो रहा है?… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप अपने स्थानों पर वापस जाएं। मैं प्रो. सौगत राय को बोलने के लिए बुला रही हूं। लेकिन प्रो. सौगत राय यह ऐसा नहीं होना चाहिए। वे फिर से वही कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे?

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: महोदया, दंडात्मक मनोदशा में काम न करें। हमें सदन चलाना है। हम चाहते हैं कि एक राजनीतिक समस्या का समाधान हो। लेकिन सजा देने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपकी बात समझती हूं।

प्रो. सौगत राय: सत्ताधारी दल प्रतिशोधात्मक और दंडात्मक रवैया अपना रहा है। आप एक ही सदस्य का नाम क्यों ले रही हैं? राजनीतिक मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आप राजनीतिक समस्याओं को राजनीतिक तरीके से हल करें। लेकिन कृपया महोदया, एक भी सदस्य को दंडित न करें। यह ठीक है कि आपने एक सदस्य का नाम नामित किया है। आप उनसे पूछें कि क्या वह खेद प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन कृपया उन्हें शेष सत्र के लिए निलंबित न करें। यह प्रतिशोधात्मक होगा; यह दंडात्मक होगा और यह सदन में सहयोग की भावना के विरुद्ध होगा। आखिर हमें आगे भी सभा चलाना है। तो, समस्या को राजनीतिक रूप से हल किया जा सकता है।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं स्वीकार करती हूं कि आप जो भी कह रहे हैं वह सही है। मैं इसके फेवर में नहीं हूं, इसलिए दो दिन से चेतावनी दे रही हूं। आज भी मैंने दी थी। स्पीकर के सामने आए थे या नहीं। आज इनके प्लेकार्ड स्पीकर के मुंह के सामने भी आए थे। मैंने केवल श्री अधीर रंजन चौधरी का नाम उनके व्यवहार के कारण लिया है। उन्होंने अनुशासनहीन व्यवहार की सीमा पार की है। इसलिए मैं उन्हे नामित कर रही हूं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया आप अपनी सीटों पर जाइए। यह कोई तरीका नहीं है । आपको जो भी कहना है, अपनी-अपनी सीट से ही कहें। मुझे खेद है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री खड़गे जी, अगर यही व्यवहार है तो मैं सदन की कार्यवाही आगे कैसे बढ़ाउंगी?

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपको धैर्य रखना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: पहले तो उन्हें अपनी सीटों पर जाने दें। मुझे खेद है।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं आपको यह नहीं बताना चाहता कि आपको धैर्य रखना चाहिए। मैं आपको यह नहीं बताना चाहता हूँ कि हर एक को धैर्य रखना चाहिए। आप में वह धैर्य है। हमारा इरादा किसी का अपमान करना या सदन में अव्यवस्था पैदा करना नहीं है। हमारी कुछ समस्याएं हैं जो हमने आपको बताई हैं। हमने आपके सामने रखा है। जब वह समस्या हमारे सामने है, नैचुरली इस हाउस में आज का ही नहीं, आप 20-25 साल का रिकार्ड निकालकर देखिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बात केवल अभी की कर रहे हैं, 25 साल की नहीं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जब आपकी सरकार नहीं थी, उस वक्त...(व्यवधान) मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन ये बीच में उठ रहे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है खड़गे जी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ... (*व्यवधान*) **:** जब समस्या का समाधान नहीं हुआ इसीलिए सारे सदस्यों ने इकट्ठा होकर प्रोटैस्ट किया, तब प्लेकार्ड रखे। जब प्रोटैस्ट करते हैं, किसी एक को आइसोलेट करके उसे पनिशमैंट देना कानून में प्रिसिडैंट नहीं है और ठीक भी नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप 10 साल का रिकार्ड देखेंगे, जितने भी वीडियो देखेंगे, उनका बिहेवियर कैसा था।...(व्यवधान) किस ढंग से चले, यह सदन कैसे चला, यह सबको मालूम है। इसलिए हमारी यह मंशा नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, मुझे भी कुछ बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, मुझे मेरे प्रश्न का इतना ही उत्तर चाहिए।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: हम वही उत्तर देंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: वह पूछ रहे हैं कि केवल एक ही व्यक्ति क्यों। मुझे भी मालूम है। सब लोग जो कर रहे हैं, मैं दो दिन से शांति से सबको चेतावनी दे रही हूं। लेकिन केवल उन्ही ने ऐसा व्यवहार किया। बाकी सब लोग नीचे थे। वह यहां चढ़कर आए। [अनुवाद] उन्होंने सीमा पार कर दी। इसलिए मैं उन्हे नामित कर रही हूं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूं। जब वे अच्छा बोलते हैं तब मैंने कई बार उनकी प्रशंसा की। लेकिन यह सही तरीका नहीं है।

प्रो. सौगत राय: मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपका सहयोग चाहती हूं।

प्रो. सौगत रायः हमने आपका सहयोग किया है। जैसे ही खड़गे जी बोलने लगे वैसे ही सदन में हंगामा हो गया है। ऐसा कब से हो रहा है। मुझे कहना होगा कि यह आपकी कृपा और धैर्य है कि तमाम हंगामे के बावजूद आपने यथासंभव सभा को चलाने का प्रयास किया है। अब जो हुआ वह एक राजनीतिक आंदोलन है। अब, जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि राजनीतिक आंदोलन का समाधान राजनीतिक रूप से ही होना चाहिए। इसका समाधान करना अध्यक्ष का काम नहीं है। सत्ताधारी दल को विपक्षी दल से बात करनी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। मैं उस पर नहीं हूं। लेकिन कई पार्टियां सभा सदन के बीचोंबीच आकर विरोध कर रही हैं। इसमें कांग्रेस, टी.आर.एस. थी और सी.पी.आई. (एम) शामिल थी। इसमें अन्य दल भी शामिल थे... (*व्यवधान*) समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग कर रही थी। टी.आर.एस. उच्च न्यायालय की मांग कर रही थी। कांग्रेस ने कुछ लोगों से इस्तीफे की मांग की थी। ऐसे से केवल एक ही सदस्य को बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा... (*व्यवधान*) कृपया मेरी बात सुनें।

महोदया, आपने इसका उल्लेख किया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं... (*व्यवधान*) महोदया, नियम 374 (1) के तहत, आपके पास ऐसे सदस्य का नाम लेने का अधिकार और क्षमता है, जिन्हें आप मानती हैं कि उन्होंने अनुचित व्यवहार किया है या सदन की गरिमा को हानि पहुंचाई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि अनुमति हो तो वह उठकर खेद व्यक्त कर सकें। यह सब यहीं पर रुक सकता है... (*व्यवधान*) आपने एक सदस्य को नामित किया है। आप अध्यक्ष हैं, सदन की संरक्षक हैं। आपका दिल बड़ा होना चाहिए। आप उन्हें बुलाकर पूछ सकती हैं: "श्री चौधरी, जो कुछ हुआ क्या आपको उसका खेद है?" वह कह सकते है: "हाँ, महोदया, मुझे क्षमा करें।" यह बात यहीं खत्म हो सकती है। लेकिन, यदि सत्ताधारी दल किसी सदस्य को दंडित करने और अलग करने की दृष्टि से प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार करता है, तो इससे राजनीतिक समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रतिशोध, सज़ा देने की मानसिकता से मामला सुलझने वाला नहीं है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : एक बात का आप ध्यान रखें, मैं आपकी बात बहुत शांति से सुन रही हूं। यहां अपमान व्यक्ति का नहीं हुआ है, सुमित्रा महाजन का नहीं हुआ है, चेयर का हुआ है। आपकी बात को समझने की कोशिश कर रही हूं, मुझे किसी को विन्डिकटविली सजा नहीं देना है किंतु यह मेज थपथपाने की भी बात नहीं है। इस विषय पर हमारी क्या राय है? इससे लोगों की मानसिकता पता चलती है। हम क्या कर रहे हैं? ये सब बातें क्यों हो रही हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं बदले की भावना से कुछ नहीं करना चाहती। मुझे भी मालूम है, मैं भी उनका सम्मान ...(व्यवधान) मगर उनकी एक्शन के लिए बात हो रही थी। मैं किसी एक को सिंगल आऊट नहीं करना चाहती हूं, किंतु हमें आज करना पड़ा, मैं सब की बात पर बार-बार बोल रही थी, मेरे सामने भी स्टीकर लाए गए, अभी भी मेज थपथपाकर कुछ बात हो रही है। क्या यही तरीका है? क्या ऐसे ही सम्मान प्रकट किया जाता है? आप मुझे न्याय दीजिए, आप फिर खड़े होंगे ...(व्यवधान)।

प्रो. सौगत राय: मैं मेज थपथपाने का समर्थन नहीं करता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप महानता दिखाइए, आप 374 पॉवर का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन इसके आगे बात को नहीं बढ़ने दीजिए। ...(व्यवधान) आप लोग मेज नहीं थपथपाइए। ...(व्यवधान) पार्लियामेंट में हम और आप, तुम और हम नहीं होता, हम सभी पार्लियामेंट के मेंबर हैं ...(व्यवधान) सदन की महानता को बनाए रखना हम सभी का फर्ज है और हम इसमें आपका साथ देंगे। ...(व्यवधान) हम डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं थे लेकिन मुझे लगता है कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। आपने नाम लिया वह ठीक है, आपका रूल मान लेता हूं, लेकिन उसके आगे मत बढ़िए, ...(व्यवधान) इससे हाऊस का माहौल खराब हो जाएगा, वातावरण खराब हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। आप इसे विन्डिक्टिव एटिट्यूड से मत देखिए।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए, मैं समझ रही हूं, खड़गे जी अब आपको क्या कहना है?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जो गड़बड़ी में बिल पास हो रहा था, ...(व्यवधान) इसको रोकने के लिए हम लोगों ने सारी कोशिशें कीं, ...(व्यवधान), अधीर रंजन चौधरी जी को आप एक चांस दीजिए, वह बोलेंगे,...(व्यवधान)। आप उन्हें चांस दो। ...(व्यवधान) वह अपनी बात रखेंगे। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अध्यक्ष महोदया, यह दोबारा आरोप लगा रहे हैं। ...(व्यवधान) दोबारा आरोप लगा रहे हैं कि हम गड़बड़ी में बिल पारित करना चाहते हैं। ...(व्यवधान) हम बिल गड़बड़ी में पारित नहीं करना चाहते थे। ...(व्यवधान) कृपया रिकॉर्ड को सही रखें। हम गड़बड़ी में विधेयक पारित नहीं करना चाहते थे। हम चर्चा करना चाहते थे। लेकिन वे चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। हड़बड़ी में बिल पास करने का हमारा कोई इरादा नहीं था ...(व्यवधान) मगर दोबारा वही आरोप लगा रहे हैं। ...(व्यवधान) उनके मन में ऐसा कोई इंट्रास्पैक्शन नहीं है, ऐसा दिख रहा है। ...(व्यवधान) चेयर के ऊपर आरोप लगाना, अंगुली उठाना कहां तक उचित है? ...(व्यवधान) वे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि सदन में क्या हुआ है उस बारे में समझें। गड़बड़ी में विधेयक पारित कराने का हमारा कभी कोई इरादा नहीं था। हड़बड़ी में पास करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम चर्चा के लिए तैयार थे। ...(व्यवधान) बिल पर चर्चा हो रही थी, लेकिन चर्चा नहीं होने दी और स्पीकर तक आये, इसलिए यह मामला यहां तक आया।...(व्यवधान) इससे पहले भी सदन ने दस लोगों को सस्पैंड किया गया है। ...(व्यवधान) पवन कुमार बंसल जी ने प्रस्ताव पारित किया है। ...(व्यवधान) पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूं। ...(व्यवधान) मैं सौगत राय जी से सहमत हूं। ...(व्यवधान) मगर हाउस चले, यह एक तरफ से नहीं होगा। ...(व्यवधान)

मैडम, इतना भारी बहुमत दिया, फिर भी हाउस को नहीं चलने देना, पीएम के खिलाफ नारे लगाना और हाउस में प्लेकार्ड्स लाना, बड़ा पहलवान, छोटा पहलवान, तो यहां कौन है पहलवान? यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान) यह क्या तरीका है? ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी के लिए हाय-हाय बोलना कोई पद्धति

नहीं है। ...(व्यवधान) यह शोभा नहीं देता। ...(व्यवधान) इन लोगों ने पचास साल तक राज किया है। ...(व्यवधान) हम हड़बड़ी में कोई बिल पारित नहीं करना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे। ...(व्यवधान) मगर चर्चा को इन लोगों ने एलाऊ नहीं किया, चर्चा में भाग नहीं लिया, हंगामा किया और प्लेकार्ड्स दिखाया। आपके टेबल पर चढ़ गये, इसलिए यह मामला यहां तक आया।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, जिस प्रकार पोप को वेटिकन शहर में सर्वोच्च संप्रभु माना जाता है, उसी प्रकार आप इस सदन की भी सर्वोच्च संप्रभु हैं, जिसे संसद कहा जाता है। आप हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्था के सबसे प्रतिष्ठित पद पर आसीन हैं। वर्षों से मैं इस सदन का साक्षी रहा हूं, और यहां तक कि कई हंगामे वाले दृश्य भी देखे हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में मैंने कभी भी इस सम्मानित अध्यक्षपीठ के प्रति अनुशासनहीन या किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या उपेक्षा नहीं की है। मैं समझ सकता हूं कि आज मेरे व्यवहार से आपको ठेस पहुंची है और सभा को भी ठेस पहुंची होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन तथ्य यह है कि आपको इस सभा की मौजूदा स्थिति पर विचार करना होगा जहां हम कुछ वैध मुद्दों पर अपनी असहमति प्रकट कर रहे हैं। …… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको भाषण देने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको भाषण सुनाने के लिए नहीं खड़ा किया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। यदि आप माफी नहीं मांगना चाहते तो कोई बात नहीं; आप बैठ सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मुझमें आपका अनादर करने का साहस भी नहीं है क्योंकि आप आप इस सदन की सम्मानित अध्यक्ष हैं। आप हम सबकी संरक्षक हैं लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि मुझे लगा कि मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान को पारित करने में भाग लेने से रोक दिया गया है। मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों से संबंधित विधान पर चर्चा में भाग लेना चाहता था, जिसे आज पारित किया जाना था और जब मुझे पता चला कि मुझे विधायी कार्य में भाग लेने से रोक दिया गया है, तो मैं उत्तेजित हो गया। लेकिन मुझे इसका अफसोस है और मैं आपसे पूर्ण रूप से क्षमायाचना करता हूं। मैं आपसे पूर्ण रूप से क्षमायाचना कर रहा हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह एक्सपलेनेशन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, अभी तक मुझे कहानी सुना रहे हैं। क्या यही तरीका है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो बिल्कुल मत बोलिए। आप तो मेजें थपथपाइए, आनंद मनाइए। समझते तो हैं नहीं कि कैसे व्यवहार करना है। गुस्सा दिलाते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो रहा है? मुझे खेद है। ये तो कोई तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक बात सुनिए, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि माफी मांगने का तरीका सीखें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, क्या आपने देखा कि क्या हो रहा है? मुझे उपदेश दिया जा रहा है, मैं हार्श होती जा रही हूं। मैं एक बात और बताऊंगी कि कहीं से यह बिल पास करने की हड़बड़ाहट नहीं थी। चर्चा हो रही थी। ए.आई.ए.डी.एम.के. के सदस्य की बात पूरी नहीं हुई थी। मैंने किसी को बिल पर चर्चा करने के लिए मना नहीं किया था। यह नहीं कहा था कि कोई चर्चा में हिस्सा नहीं ले सकता है। बात केवल यह है कि आप वैल में भी खड़े रहो, स्पीकर के सामने प्लैकार्ड्स भी लाओ और फिर बोलो, ऐसे बात तो नहीं हो सकती है। ए.आई.ए.डी.एम.के. के सदस्य की बात पूरी नहीं हुई थी। यहां से कोई भी बिल हड़बड़ाहट में पास करने की, कम से कम चेयर से कोशिश नहीं हुई थी। मिनाक्षी लेखी जी का भाषण हुआ था, एआईएडीएमके का सदस्य भाषण कर रहा था। यहां जो कुछ हो रहा था, मैं दो दिन से बराबर बोल रही हूं, आप चाहें तो मेरे वर्ड्स देख लें, मैं आपको चांस दे रही थी कि आप कम से कम प्लैकार्ड्स वापस ले लो। मैं बार-बार चांस दे रही थी, यह उचित नहीं है। यह सब कुछ हो रहा था। अभी भी आप मुझे ही भाषण देंगे। क्या आपने कहा था कि आपको किसी विषय पर बोलना है? यह कोई तरीका नहीं है । मुझे खेद है।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय: आप इस मैटर को छोड़ दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : फिर एक काम करना होगा। अब इतना सब कुछ हुआ है। रिगरेट करने का तरीका होता है। मैं व्यवस्था दूंगी।

... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, आप अपनी टिप्पणी करने से पहले, कृपया मुझे अनुमति दें। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अर्जुन राम मेघवाल जी, अनुराग जी, मैं रूलिंग नहीं दे रही हूं। मेरा इतना ही कहना है कि इतना सब कुछ होने के बाद जो भी हुआ, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ सुझाव देकर, बोलकर माफी मांगी जा रही है लेकिन माफी मांगने का तरीका उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक दूसरी बात, मैं स्थापित करना चाहती हूं कि चेयर की तरफ कोई हड़बड़ाहट में बिल पास करने की कोशिश से भी नहीं हुई है। यहां बराबर चर्चा चल रही थी, आपको चर्चा में हिस्सा नहीं लेना था या आपको हंगामा ही करना था। मेरा बार-बार निवेदन हंगामा नहीं करने के लिए था। आप भी देख रहे थे कि मैंने नियम 377 के अधीन मामले भी पढ़वाए थे। मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छे तरीके से हाउस चलाऊं। पहले दिन से मेरी कोशिश यही रही है। मेरी आज भी यही कोशिश थी, मैं खड़गे जी को आतंकी हमले पर बोलने का मौका दे रही थी। मेरा केवल इतना कहना है कि दोनों हाथ में लड्डु नहीं होते हैं। आप सदस्यों को वापस लेकर उस विषय पर बोल सकते थे, मैंने यह भी कहा था लेकिन यह बात भी सुबह से नहीं मानी गई थी। मुझे नहीं लगता है कि चेयर की तरफ से किसी भी प्रकार से आप सबको बोलने से मना किया हो। ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी अगर आप लोग मानते हैं तो मैं कुछ कहूंगी। प्रस्ताव आपका है इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी।

... (व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : सौगत जी ने कहा, खड़गे जी ने भी कहा कि हमारा दायित्व बनता है कि सदन ठीक तरह से चले और सबको बहस में भाग लेने का मौका मिले। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आगे बढ़ें, यह सबकी इच्छा है, इसमें दो राय नहीं है मगर किसी को फांसी पर चढ़ाने की हमारी पद्धति नहीं है। 24.4.2012, को 12 सदस्यों द्वारा, मैं नाम उनके ले सकता हूं ... (*व्यवधान*) तेलंगाना के दस सदस्य ... (*व्यवधान*) नौ सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। ... (*व्यवधान*) इसके बाद, आंध्र के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निलंबित कर दिया गया। मैं अपनी बातों को सही ठहराने के लिए यह उद्धृत नहीं कर रहा हूं। ... (*व्यवधान*) खड़गे जी, आप

बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। समझने की कोशिश करें। सभा की गरिमा और अध्यक्षपीठ की गरिमा की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है क्योंकि इस दौरान अध्यक्ष के खिलाफ भी आलोचना हुई थी। मेरा सुझाव यह है कि, यदि हम इसे समाप्त करना चाहते हैं और हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना होगा।

[हिन्दी] दूसरे, अधीर रंजन जी, जो सीनियर हैं और मंत्री भी रहे हैं। उनके अपने व्यवहार के कारण, अपने मन में कि मैंने गलती की, ऐसा उन्होंने महसूस किया तो जस्टिफाइ नहीं करना चाहिए और किंतु परंतु न कहकर सीधा स्पीकर मैडम से कहकर हाउस के द्वारा माफी मांगनी चाहिए। वही एकमात्र विकल्प है।...(व्यवधान) आपने भी देखा होगा, मैडम, आपने पुरानी परम्परा भी देखी है। बिना किसी शर्त के या बिना किसी प्रस्तावना के, उन्हें कहना चाहिए कि अध्यक्ष के आसान के समीप जाने के उनके व्यवहार के लिए उन्हें खेद है। ... (*व्यवधान*) आप सुनना नहीं चाहते हैं; आप इसका पालन भी नहीं करना चाहते हैं। ... (*व्यवधान*)यदि आप समाधान नहीं चाहते तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूं.. (*व्यवधान*) यदि यही तरीका है; वे हर दिन हमें निर्देशित करते हैं। ... (*व्यवधान*) मुझे खेद है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ... (*व्यवधान*) यदि ये सदस्य उन्हें दंडित करने में रुचि रखते हैं, तो मैं यह उन पर छोड़ता हूं।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृपया अपनी सीट पर बैठें। यह कोई तरीका नहीं है ।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है; कुछ भी अभिलिखित नहीं किया जाएगा।

... (*व्यवधान*)... [15*]

[15*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, इतना कुछ होने के बाद क्या क्रॉस-टॉक होना जरूरी है?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि सॉरी भी कोई ऐसे बोलता है, हाथ में तलवार लेकर सॉरी कोई थोड़े ही बोलता है? ऐसा नहीं होता है। सॉरी बोलने का भी तरीका होता है। अगर नहीं कहना हो तो मैं आग्रह नहीं कर रही हूं। आप प्लीज, मेरे मुंह से भी कुछ शब्द मत निकलवाइए। यह क्या हो रहा है? आपके जो सरदार हैं, उनको थोड़ा तो बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, वह पहले ही खेद व्यक्त कर चुके हैं और माफी मांग चुके हैं। फिर बार बार उसको दोहराना ठीक नहीं है और एजीटेशन करना एक बात अलग है। वह हमारा हक है। हम वह करते रहेंगे। उसके लिए यह कम्प्रोमाइस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ, उसके लिए उन्होंने अपोलीजी की है। इसीलिए उसको क्लोज कर दीजिए। आगे सदन के सामने जो हमारी समस्या है, वह हम रखेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब ऐसा है कि आप अधीर रंजन जी का भाषण फिर से देखिए। यह अपोलीजी है या क्या है?

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो चर्चा हो रही है, यह हमारे लिए कोई मर्यादा की बात नहीं है लेकिन जब आप खुद समझ रही है, जब आप ट्रेजरी बेंच को भी कह रही हैं और वे तैयार नहीं हैं क्योंकि भावना ऐसी हो जाती है।...(व्यवधान) यह नोंक-झोंक कई दिनों से चल रही है। आज यह जो अनरूलिंग बिहेवियर बोलिए या जो भी कहिए, जिसके लिए वे खुद भी रिग्रेट कर रहे हैं। हम उसका समर्थन नहीं कर रहे

हैं।...(व्यवधान) अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं।...(व्यवधान) इन्होंने भी जो किया है, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है और इसलिए वे खुद भी रिग्रेट कर रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि उस समय जब हाउस ऑर्डर में नहीं था और बिल पर डिसकशन हो रहा था, हमारे सदस्य रूल बुक लेकर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहे थे।...(व्यवधान) जब ऑर्डर नहीं होता है तो डिसऑर्डर को एनकरेज किया जाता है और वह हम सबके लिए अनफोर्चुनेट है। मैडम, न तो यह वैटिकन सिटी है और न यहां पोप है।...(व्यवधान) लेकिन यह जो सदन है, इसकी अपनी एक मर्यादा है। आप अध्यक्षा हैं। चेयर के लिए भी एक मर्यादा है, उस मर्यादा को कोई भी पार करे, हम उसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। हमारी लोकतांत्रिक परम्पराएं हैं और मेम्बर जब ऐजीटेटिड होते हैं तो हमारे कुछ तरीके हैं और आपके भी हैं।...(व्यवधान) आप वहां बैठे हैं, आप साधु बन सकते हैं और यदि आप यहां बैठते हैं तो दूसरा कुछ कर सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है। अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। रमेश जी, आप बैठ जाएं। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है और कोई पर्सनल बात नहीं है। आप कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हाँ, अधीर रंजन जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

... (*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदया, मैं पहले ही खेद व्यक्त कर चुका हूं।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आपने ऐसा नहीं किया है।

... (*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं पहले ही आपसे पूर्ण रूप से माफी मांग चुका हूं। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक बार फिर दोहरा सकता हूँ। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आप फिर वही कर रहे हैं। मुझे आपसे कोई माफी नहीं चाहिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या यह, यह बात कहने का सही तरीका है?

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप कृपया माफी मत मांगिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदया, आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ... (*व्यवधान*) आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे माफी के लिए नहीं कह रही हूं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप एक महान व्यक्ति हैं! मैं आपसे माफी मांगने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूं?

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं। आप सभी अगर मेरी बात मानते हैं तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जो कुछ भी चल रहा है, मुझे उचित नहीं लग रहा है। वास्तव में अंतर्मन से जो माफी नहीं है, वह माफी मैं नहीं मानती हूं। आप माफी मत मांगिए। यह माफी किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। यह बात केवल चेयर के लिए है। मैं यहां से इतना ही निवेदन करूंगी कि जो हुआ है वह बहुत कटु है और जो वास्तव में उचित नहीं है। कम से कम आज के दिन के लिए अधीर रंजन जी को सभा से बाहर जाना चाहिए। और आप पूरे सत्र के लिए इनके सस्पेंशन का प्रस्ताव वापिस ले लें तो अच्छा रहेगा। अगर आप सभी को मान्य हो तो मैं यह रूलिंग दे देती हूं।

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 4.38 बजे</u>

इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी सभा भवन से बाहर चले गए।

... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: हम अध्यक्षपिठ की सलाह के अनुसार काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: क्या यह सदन का सौभाग्य है कि श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव वापस लिया जाए?

अनुमति के द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

<u>अपराह्न 4.39 बजे</u>

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन)

विधेयक, 2015 - जारी

माननीय अध्यक्ष: अब सभा मद सं. 19 पर विचार करेगा - श्री जे.जे.टी नट्टर्जी जारी रखेंगे।

श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी (थूथुकुडी): महोदया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम हम जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की बढ़ती संख्या की पूर्ति कैसे करेंगे ताकि मामलों का त्वरित गति से निपटारा किया जा सके। ... (*व्यवधान*) जब कई मामलों को उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका बोझ निचली अदालतों जैसे जिला अदालतों और शहर सिविल अदालतों पर बढ़ जाएगा।... (*व्यवधान*) इसलिए, समय की मांग है कि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की भर्ती की जाए।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री नट्टर्जी, वे सदन नहीं चलाना चाहते हैं, इसलिए, आप कल अपनी बात जारी रख सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: लोक सभा कल 28 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.40 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 28 जुलाई, 2015 / 6 श्रावण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित